बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–19/15–16

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित, लेखा का नाम– जिला कृषि कार्यालय, गया।

(ख) अंकेक्षण का लेखा अवधि– वर्ष 2010–11 एवं 2011–12

(ग) प्रशासी विभाग का नाम– कृषि विभाग, बिहार पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारियों का नाम/पदनाम एवं कार्यालय–

(1) श्री दयानन्द राम निराला, संयुक्त कृषि निदेशक (दि0 01.04.10 से 31.03.11 तक)

(2) अरूण कुमार, प्रभार (दिनांक–01.04.11 से 31.03.12 तक)

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम–

(1) श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, जिला कृषि पदाधिकारी दि0–(01.04.10 से 31.03.12 तक)

(2) श्री नंद किशोर, रोकड़पाल (दि0–01.04.10 से 24.06.10 तक)

(3) श्री सुधीर प्रसाद सिंह, रोकड़पाल (दि0–25.06.10 से 31.03.11 तक)

(4) श्री सदानन्द भगत, रोकड़पाल, (दि0–01.04.11 से 31.03.12 तक)

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम–

(1) श्री सदानन्द भगत, रोकड़पाल (सेवानिवृत)

(2) श्री सत्येन्द्र कुमार, रोकड़पाल

(छ) अंकेक्षको का नाम–

(1) श्री अविनाश कुमार व0 अं0–2

(2) श्री मनोज कुमार व0 अं0–2

(3) श्री उदय शंकर व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि– 24.10.13

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि– 06.06.15

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस– $52\frac{1}{3}$का दि0

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तु अभिलेखों की सूची– परिशिष्ट (क) पर उल्लेखित है।

(2) <u>अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र</u> :–

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक–3286 दिनांक 15.09.1960 में निहित निदेशानुसार एवं वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक–31 वित्त अंकेक्षण, पटना दिनांक– 03.04.13 के निदेशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया। इस कार्यालय द्वारा फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं यथा कृषि यात्रिकरण राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आइसोपोप योजना एवं मिट्टी परीक्षण योजना आदि को क्रियान्वित करना जिससे फसलों का लागत मूल्य कम हो सके तथा फसल सधनता को बढ़ाया जा सके एवं इसका समुचित लाभ किसानों को प्राप्त हो सके। किसानों को तकनीकी प्रशीक्षण तथा किसान मेले को आयोजित कर कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाता है तथा यंत्रो के खरीद पर अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

कार्यालय द्वारा कोषागार से निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन कोषागार, गया के अभिलेखों से शत् प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया गया।

अंकेक्षण में पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार एवं वित्त अंकेक्षण का प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति से अंकेक्षण दल अनभिज्ञ रहा।

(3) <u>वित्तीय समीक्षा</u> :–

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 का आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्षवार प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है। परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 एवं 11–12 में व्यय आवंटन के अन्तर्गत किया गया था। व्यय उपरान्त बचत राशि को वर्ष के अंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। अगर राशि प्रत्यार्पित दिया गया हो तो प्रत्यापर्ण से सम्बंधित पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रशासी विभाग प्रत्यापर्ण की समीक्षा कर लें। भविष्य में प्रत्यापर्ण से सम्बंधित पत्र निश्चित रूप से रखा जाये।

आवंटन एवं व्यय पंजी का संधारण अनिवार्य रूप से दिया जाये तथा प्रत्यापर्ण का विवरण आवंटन एवं व्यय पंजी में अवश्य अभिलिखित किया जाये।

मदवार खोले गये बैंक खाताओं में जमा एवं निकासी मदवार नहीं किया गया था। बल्कि सुविधानुसार या राशि के उपलब्धता के आधार पर एक मद की जमा एवं निकासी अन्य मदों के बैंक खातों से भी किया गया था। रोकड़ पुस्त में लेन–देन की प्रविष्टि की संतुष्टि में विपत्र संख्या, उपाभिश्रव संख्या, चेक संख्या आदि का विवरण अंकित नहीं किया जाता था। रोकड़ पुस्त में संवरण शेष की विस्तृत विवरणी अंकेक्षणावधि में कमी नहीं अंकित किया गया था। अग्रिम पंजी एवं आकस्मिता पंजी के संधारण की आवश्यकता समझी ही नहीं गई थी। निष्कर्ष यह कि लेखा संधारण में पारदर्शिता नहीं बरती गई थी। लेखा संधारण की यह अनियमित प्रक्रिया में सुधार तथा भविष्य में लेखा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया जाता।

अंकेक्षण के दौरान कुल 42 आपत्ति निर्गत किया गया परन्तु कई बार आग्रह के बावजूद आपत्ति का अनुपालन कर नहीं लौटाया गया।

(4) भौतिक सत्यापन :–

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के ज्ञापांक–503 दिनांक 29.01.1976 के अनुसार अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दिनांक 25.01.2014 को संवरण शेष के नगदी रोकड़ का भौतिक सत्यापन कराया गया जिसका प्रतिफल निम्न प्रकार है।

कुल संवरण शेष– 8,50,12,098=00

(i) अभिश्रव–	1,56,01,776=00
(ii) अग्रिम–	8,47,994=00
(iii) बैंक खाताओं में कुल राशि–	6,85,62,328=00
कुल योग–	8,50,12,098=00

(5) स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल :–

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	निर्गत
1	जिला कृषि पदाधिकारी	1	1	–
2	सहायक कृषि पदाधिकारी (रसायन)	1	–	1
3	सहायक कृषि पदाधिकारी (वनस्पति)	1	–	1
4	जिला मूल्यांकण पदाधिकारी	1	–	1
5	सहायक कृषि पदाधिकारी (अभियंत्रण)	1	–	1
6	कृषि निरीक्षण (तेलहन)	1	–	1
7	कृषि निरीक्षण क्षेत्र प्रयोग सेवा	1	–	1
8	सांख्यिकी सहायक	1	1	–
9	प्रधान सहायक	1	1	–
10	लिपिक	5	3	2
11	लिपिक (अभियंत्रण)	1	–	1
12	आशुलिपिक	1	1	–
13	मिसा यांत्रिक	1	–	1
14	संधापक	1	–	1
15	सहायक संधापक	1	–	1
16	ट्रक चालक	1	1	–
17	ट्रक खलासी	1	1	–
18	ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता	90	11	69
19	आशुटंकक	10	06	04
20	जीप चालक	1	1	10
21	सौहकार	1	–	1
22	आदेशपाल	1	1	–
23	पदचर	1	–	1

24	रात्रि प्रहरी	1	1	—
25	आदेशपाल (अभियंत्रण)	1	—	1
26	पदचर (अभियंत्रण)	1	—	1
27	रात्रि प्रहरी (अभियंत्रण)	1	—	1
	कुल—	30	16	14

स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल के समीक्षा क्रम में पाया गया कि कुल स्वीकृत पद संख्या 30 के विरूद्ध मात्र 16 कार्यरत बल था। वर्तमान में कृषि कार्यालय के कार्यो में हुई वृद्धि को देखते हुए रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए ताकि कार्यो के सम्पादन में तीव्रता आ सके।

भाग— 2

(6) बीज बिक्री की राशि रू0 25,56,053=00 कम जमा वसूली योग्य :—

बीज ग्राम योजना अन्तर्गत तथा मुख्य मंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना अन्तर्गत कृषको को प्रमाणिक बीज 50% अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाने के योजनान्तर्गत बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड से बीज क्रय हेतु कुल रू0 1,91,31,814=00 का भुगतान किया गया था जिसका विवरण परिशिष्ट 'ग' में अंकित है। अंकेक्षण क्रम में बताया गया कि बीज निगम को भुगतान राशि के समतुल्य बीज सम्बंधित प्रखंड कृषि कार्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है परन्तु इसके संपुष्टि में बीज क्रय से सम्बंधित बीज निगम का इन्वायस तथा प्रखंड कृषि कार्यालय द्वारा बीज पावती का प्रमाण नहीं दिखाया गया। चूँकि बीज प्रखंड कृषि कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया था, इस कारण जिला कृषि कार्यालय के भंडार पंजी में भी प्राविष्टि नहीं किया गया था। कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कृषको को विक्रय से प्राप्त आधी रकम प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा जिला कृषि कार्यालय को भुगतान कर दिया गया है। बिहार राज्य बीज निगम को भुगतान रकम रू0 1,91,31,814=00 के विरूद्ध प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा बीज विक्री से (50% अनुदानित दर पर) प्राप्त आधी रकम रू0 95,69,460=00 जिला कृषि कार्यालय में जमा किया जाना था। जाँच क्रम में पाया गया कि

वस्तुतः प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा बीजों को 50% अनुदानित दर पर क्रिय के उपरान्त राशि रू0 95,69,460=00 जिला कृषि कार्यालय को भुगतान (जमा) करने के स्थान पर मात्र रू0 70,13,407=00 ही नाजिर रसीद के जरिये जमा कराया गया था। राज्य बीज निगम को भुगतान राशि का ब्योरा तथा प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा नाजिर रसीद से जमा कराये गये राशियों का ब्योरा प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर अंकित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रखंड कृषि कार्यालयों से राशि रू0 95,69,460=00−70,13,407=00 = रू0 25,56,053=00 वसुली (जमा) किया जाना शेष है। अतः कार्यालय द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रखंड कृषि कार्यालयों में बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज विक्री राशि (50% अनुदान उपरान्त) तथा उनके द्वारा मिला कृषि कार्यालय को चुकाई गई राशि के पश्चात अन्तर राशि रू0 25,56,053=00 सम्बंधित प्रखंड कृषि कार्यालयों से वसूल कर ली जाये। वसूली के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करया जाये। साथ ही प्रशासी विभाग का ध्यान इस पर भी प्राकृष्ट किया जाता है कि रू0 1,91,31,814=00 का बिहार राज्य बीज निगम लि0 द्वारा विभिन्न प्रखंडो में की गयी, बीज की आपूर्ति वितरण की वास्तविक स्थिति अभिलेखों के आधार पर सुनिश्चित कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए। विपरीत परिशिष्ट में तदनुसार कारवाई अप्रेजित होगी।

(7) **बीज विक्री की जमा योग्य राशि रू0 5,90,310=00 जमा वसूली योग्य** :–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषकों को खरीफ के मौसम में धान बीज मुहैया कराने हेतु सभी प्रखंड कृषि कार्यालयों को पूसा भगवती, पूसा 834 एवं पूसा सुभाषिणी धान बीज उपलब्ध कराना था। जिला कृषि कार्यालय द्वारा बीज क्रय पेसर्स गणेश कृषि केन्द्र'' दिग्धी तलाब, गया को राशि रू0 5,00,000.00 चेक सं0–24471 दिनांक 19.05.10, रू0 4,00,000.00 चेक सं0–232673 दिनांक 16.09.10 द्वारा तथा रू0 2,80,620.00 चेक सं0 024523 दिनांक 31.03.11 द्वारा कुल रू0 11,80,620.00 का आग्रिम एवं अंतिम भुगतान किया गया था। मे0 गणेश कृषि केन्द्र द्वारा आपूरित दिखायी गयी मात्रा परिशिष्ट 'घ' के भाग–1 में अंकित है उक्त सामग्री मे0 गणेश कृषि केन्द्र, दिग्घी तलाब, गया द्वारा इन्वास संख्या 1705 दिनांक 07.07.10 कार्यालय को प्रस्तुत किया गया जिसे अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। परन्तु

आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संगत प्रखंड कृषि कार्यालयों को सामग्री हस्तगत कराये जाने का साध्म कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। जिला कृषि कार्यालय के अभिलेखों में तथा कुछ प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में भी सामग्री पावती का साध्म मौजूद नहीं था।

साथ ही अंकेक्षण में यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि इतनी बड़ी मात्रा में बीजों का क्रय निजी प्रतिष्ठान से किस परिस्थिति में किया गया। निजी संस्थान द्वारा आपूरित बीजों के गुणवता की जाँच भी सक्षम संस्थान द्वारा नहीं कराया गया था। ज्ञातव्य हो कि बीजो के क्रय हेतु सरकारी संस्थान बिहार राज्य बीज निगम अस्तित्व में है, तथा जिला कृषि कार्यालय द्वारा भी समय–समय पर बिहार राज्य बीज निगम से बीज क्रय किया जाता रहा है। जिला कृषि कार्यालय द्वारा खुले बाजार से बीज क्रय करने हेतु क्रय की विहित प्रक्रिया का अनुपालन भी नहीं किया गया था। अर्थात् टेन्डर–कोटेशन की प्रक्रिया का अनुपालन भी नहीं किया गया था। अर्थात् टेन्डर–कोटेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।

आवंटनादेश के कंडिका '6' के अनुसार आपूर्ति किये गये बीज 50% अनुदान पर प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा कृषकों को विक्रय किया जाना था। परन्तु प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा बीजों को 50% अनुदान पर कृषकों को विक्रय करने के उपरान्त शेष 50% नगद राशि जो कृषकों से प्राप्त किया गया। अंकेक्षण समाप्ति तक कर्यालय को नहीं लौटाया गया था।

प्रखंड कृषि कार्यालयों को आवंटित बीज की मात्रा तथा मूल्य परिशिष्ट 'घ' के भाग–2 में अंकित दिया गया है।

इस प्रकार कृषकों से नगद प्राप्त राशि रू0 5,90,310.00 सम्बंधित प्रखंड कृषि कार्यालयों से वसूली योग्य है। राशि वसूली उपरान्त वसूली राशि विभाग से अनुमोदन उपरान्त सरकारी कोष में जमा करा दिया जाये। किये गये कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

साथ ही बिहार राज्य बीज निगम के बीज क्रय न कर निजी प्रतिफल से किये जाने, बिना निविदा कोटेशन का क्रय एवं बीज की गुणवता बिना सुनिश्चित किये बीज का क्रय एवं प्रखंडों

में उक्त बीजों का वास्तविक वितरण की जाँच प्रशासी विभाग द्वारा किये जाने तथा तदनुसार आवश्यक कारवाई कर फलाफल से अवगत कराने सुझाव दिया जाता है।

(8) <u>सामग्री आपूर्ति के अभाव में राशि रू0 4,14,610.00 का दुर्विनियोग</u> :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत की विधि से खेती करने को बढ़ावा देने के उदेश्य से की विधि प्रत्यक्षण हेतु कृषकों को बीज के साथ–साथ उपादान (उर्वरक) भी दिया जाना है। संचिका के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि प्रखंड कृषि कार्यालय कोच को यूरिया 12 मिट्रिड टन तथा एन0 पी0 डे0 10:26:26 24 मिट्रिड टन उर्वरक उपलब्ध कराना था। इस हेतु में0 भवानी इन्टरप्राइजेज, कोठोवर तालाब, गया को आधिकृत करते हुए कुल रू0 4,14,610.00 का भुगतान चेक सं0–632270 दिनांक 13.09.11 को कर दिया गया। परन्तु सम्बंधित सामग्री की प्राप्ति का उल्लेख न तो जिला कृषि कार्यालय के भंडार पंजी में था और न ही प्रखंड कृषि कार्यालय कोच द्वारा उपलब्ध कराये गये भंडार पंजी में। प्रखंड कृषि कार्यालय कोच द्वारा विधिवत् और समुचित भंडार पंजी संधारित ही नहीं था। प्रखंड कृषि कार्यालय कोच द्वारा वर्णित सामग्री वितरण का भी अभिलेख उपस्थापित नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामग्री का आपूर्ति अबतक नहीं दिया गया है। अतः आपूर्ति तथा कृषकों को उर्वरक वितरण के आभाव में भुगतित पूर्ण राशि रू0 4,14,610.00 संगत आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दुर्विनियोग किया गया। साथ ही राशि प्राप्ति के पश्पात सामग्री की आपूर्ति नहीं किया जाना योजना की पूर्ति में बाधक हुआ। इस दिशा में दिये गये कार्रवाई तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जायें

(9) <u>राशि रू0 2,55,444.40 वसूली योग्य</u> :–

सहायक रोकड़ पुस्त के अवलोकन क्रय में स्पष्ट हुआ कि तेलहन विकास कार्यक्रम एवं विशेष चावल योजना समाप्त किया जा चुका था। अंकेक्षण अवधि के पूर्व से ही अभिश्रव के रूप में सम्बंधित रखा हुआ था। अंकेक्षण समाप्ति तक न तो अभिश्रव को समयोनित किया गया और न ही अभिश्रव अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जा सका। अंकेक्षण में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि यह राशि रू0 2,55,440.40 कब और किसे अग्रिम किया गया था। अंकेक्षण में प्रतीत हुआ कि उन्त राशि को व्ययगत होने से बचाने हेतु नियमो के प्रतिकूल अग्रिम किया गया था या काल्पनिक अग्रिम दिया गया था जिसके कारण न तो अभिश्रव को अंकेक्षण में

प्रस्तुत कराया गया और न ही इतने लम्बे अवधि तक अग्रिम को समायोजित ही किया जा सका। अतः राशि सम्बंधित व्यक्ति से वसूली कर ली जाये, विवरण इस प्रकार है :–

तेलहन विकास कार्यक्रम–	6615.55
विशेष चावल योजना–	2,48,828.85
कुल राशि–	2,55,444.40

राशि वसूली उपरान्त संगत शीर्ष में जमा करा दिया जाये साथ ही उक्त कार्य हेतु दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कारवाई भी की जाए। प्राप्त प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

(10) विपत्र पारित किये बिना भुगतान एवं व्यय सम्बंधी कागजात के अभाव में राशि रू0 25,000.00 दुर्विनियोग :–

आइसोपोम योजनान्तर्गत अभिलेखों के अवलोकन क्रम में स्पष्ट हुआ कि राई प्रत्यक्षण योजना में मे0 अजय सीड फार्म, बिलदपुर गया से पूसा बोल्ड राई 64 किलो x7 बैग = 448 किलो एवं 52 किलो x 1 बैग =52 किलो, कुल 500 किलोग्राम राई का क्रय रू0 50.00 प्रति किलोग्राम के दर से किया गया था। उक्त क्रय के लिए रू0 25,000.00 का भुगतान चेक सं0–047969 दिनांक 14.03.11 से किया गया था। अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि क्रय के लिए स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं किया गया था तथा विपत्र को सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था। उक्त सामग्री की भंडार प्राविष्टि भी नहीं पाया गया। क्रय किये गये राई के उपयोग के संदर्भ में कोई कागजात कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। उक्त स्थिति स्पष्ट रूप से सरकारी राशि का दुरूपयोग है।

अतः उक्त दुर्विनियोग की सक्षम पदाधिकारी द्वारा पुनः जाँचोपरान्त तदनुशार आवश्यक कारवाई (विधि सम्मत सहित) कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

(11) कार्य नहीं होने के फलसवरूप राशि रू0 25,000.00 वसूली योग्य :–

राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन वर्ष 10–11 अन्तर्गत चावल एवं दलहन में वृद्धि के साथ पास्ट हारवेस्ट क्षति से बचाव तथा गुणवता में वृद्धि लाने हेतु ग्रेसिंग फलोर निर्माण किया जाना था। इसके लिए रू0 45,000.00 का स्वकृत प्राक्कलन था। इस निर्माण में 33,750.00 का स्वहित अनुदान था जिसे लाभुक को भुगतान किया जाना था। शेष राशि लाभुक को स्वयं वहन कर ग्रसिंग फ्लोर का निर्माण किया जाना था।

चयनित लाभुक कृषक श्री रामाशीष यादव पिता स्व0 मुंशी यादव, ग्राम बेहड़ी टोला, पंचायत बेला को प्रसिंग फ्लोर निर्माण हेतु अनुदान राशि रू0 25,000.00 का भुगतान चेक सं0–159526 दिनांक 15.02.11 के जरिये दिया गया था। अंकेक्षण में बताया गया कि श्री यादव द्वारा फ्लोर का निर्माण नहीं कराया गया है तथा निर्माण सम्बंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। शेष अनुदान का दावा भी उनके द्वारा नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन वर्ष 10–11 के तहत सोशल इन्सेन्टिव कार्पइप के तहत निर्धारित समयावधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। अतः अनुदान भुगतान के बाद 4 वर्ष तक प्रतिक्षा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। श्री यादव लाभुक से राशि रू0 25,000.00 वसूल लिया जाये तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

(12) <u>कृषि मेला में स्वीकृतादेश के बिना मिनरल वाटर एवं नास्ता पर रू0 16,270.00 का व्यय वसूली योग्य</u> :–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 11–12 में कृषि यंत्रीकरण में मेला जो गाँधी मैदान गया में दिनांक 12.07.11 से दिनांक 13.07.11 तक आयोजित था जिसमें कार्यालय मिला कृषि पदाधिकारी के पत्रांक 94 दिनांक 06.07.11 द्वारा 35 स्टाल, कृषकों को बैठने के लिए पण्डाल पर व्यय की स्वीकृति की गई थी। स्वीकृत्यादेश में मिनरल वाटर एवं नास्ता पर व्यय का उल्लेख नहीं था। परन्तु उक्त अवधि में बिना स्वीकृत्यादेय अथवा प्रावधान के रू0 5,900.00 का व्यय मिनरल वाटर एवं नास्ता पर दिया गया था। उसी प्रकार दिनांक 10.08.11 से दिनांक 13.08.11 तक गाँधी मैदान में 56 उधान महोत्सव के लिए कृषि प्राधौगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) गया के पत्रांक 144 दिनांक 08.08.11 द्वारा वाटरप्रुफ स्टेज प्रकाश व्यवस्था, कुर्सी स्वागत द्वार पंडाल, रात्रि प्रहरी आदि के लिए व्यय की स्वीकृति दी गई थी। परन्तु मेलावधि में स्वीकृत्यादेश/प्रावधान के प्रतिकूल मिनरल वाटर एवं नास्ता पर रू0 10,370.

00 का व्यय दिया गया था। कुल राशि रू0 5,900+10,370.00= रू0 16,270.00 चेक सं0 434375 दिनांक 30.09.11 द्वारा भुगतान किया गया था। विवरण परिशिष्ट 'ङ' पर अंकित है।

अतः रू0 16,270.00 संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूलनीय है। इस संबंध में की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

(13) **वैट की भुगतीत राशि रू0 6,234.00 वसूली योग्य** :–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 11–12 के अंकेक्षण में पाया गया कि कृषि मेला जो गाँधी मैदान गया में आयोजित था, मे0 केशरी टेन्ट एण्ड क्राकरी सेन्टर रमना रोड, गया द्वारा पंडाल–स्टाल, कुर्सी बगैरह का भाड़ा वैट सहित रू0 1,30,934.00 का दाबा किया गया था। व्ययण पदाधिकारी द्वारा रू0 1,30,934.00 के स्थान पर रू0 81,308.00 पारित करते हुए चेक सं0–434377 दिनांक 30.09.11 द्वारा भुगतान किया गया था।

ज्ञातव्य हो कि भाड़ा पर लिये गये सामग्री के लिए मूल्य वद्धित कर (VAT) देय नहीं है। परन्तु मे0 केशरी टेन्ट एण्ड ब्रावरी सेन्टर द्वारा उक्त भाड़ा राशि पर वैट मद में रू0 6,234.00 का दावा कर भुगतान पाया गया। रकम रू0 6,234.00 वसूली योग्य है। अभिश्रव का विवरण इस प्रकार है :–

सामग्री	भाड़ा अवधि	कुल राशि	वैट राशि	दावा राशि
पंडाल, स्टौल कुर्सी बगैरह	12.07.11 से 13.07.11 तक	75,020.00	3,750.00	78,770.00
पंडाल, स्टौल कुर्सी बगैरह	10.08.11 से 13.08.11 तक	49,680.00	2,484.00	52,164.00
	कुल–	1,24,700.00	6,234.00	1,30,934.00

इस संबंध में सुझाव दिया जाता है कि सेवा कर, सेल्स टैक्स संस्थान से पंजीकृत संस्थानों से ही सामग्री भाड़े पर लिया जाये तथा इस हेतु टेन्डर तथा कोटेशन की प्रक्रिया अवश्य अपनाई जाये ताकि सरकार के व्यय में मितव्ययिता बनी रहे।

अतः वैट के रूप में भुगतीत राशि रू0 6,234.00 आपूर्तिकर्त्ता से वसूल कर संगत शीर्ष में जमा करा दिया जाये तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाये।

(14) विक्रय कर मद भुगतान राशि में रू0 4,990.00 वसूली योग्य :–

वित्तीय वर्ष 11–12 में आइसोपोम योजना अन्तर्गत बीज गुणन प्रदोत्रों में ग्रेसिंग फ्लोर (खलिहान) निर्माण के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी शेरघाटी को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया था। प्राक्कलित राशि रू0 1,00,000.00 से यह निर्माण एक माह में पूर्ण किया जाना था। अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये मापी पुस्त, अभिश्रवों एवं मस्टर रौल से विदित हुआ कि यह कार्य दिनांक 29.01.12 को पूर्ण कर लिया गया। निर्माण में ईट, सिमेन्ट एवं चिप्स का स्थानीय क्रय किया गया था जिस पर विक्रय कर की कटौती निर्धारित दर से नही किया गया था। क्रय सामग्री एवं आपूर्तिकर्त्ता का विवरण परिशिष्ट 'च' पर अंकित है। अतः परिशिष्ट 'च' के अनुसार क्रय किये गये सामग्री पर करदेयता राशि रू0 4,990.00 बनती है जो सगत दोषी व्यक्ति से वसूलनीय है।

अतः दोषी व्यक्ति से राशि रू0 4,990.00 वसूल कर वाणिज्य कर विभाग में जमा करा दिया जाये तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

(15) ई0 किसान भवन का निर्माण अपूर्ण अग्रिम राशि रू0 3,29,53,000.00 समायोजन हेतु सम्बंधित :–

बिहार के किसानों को कृषि सम्बंधित आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने हेतु तथा प्रशिक्षण आदि देने हेतु सरकार ने वर्ष 2008–09 में सभी प्रखंडो में ई0 किसान भवन निर्माण का निर्णय लिया। इन स्वहित परियोजनाओं को वर्ष 13–14 तक पूर्ण कर लिया जाना था। परन्तु ई0 किसान भवन का निर्माण अंकेक्षण समाप्ति तक पूर्ण नहीं किया जा सका था।

जिला कृषि पदाधिकारी, गया के अभिलेखों के जाँचक्रम में ज्ञात हुआ कि जिले में स्थित 24 प्रखंडो में से प्रथम चरण में खिजरसराय टेकारी वशीरगंज, शेरघाटी, इमामगंज एवं गुरारू में निर्माण डी स्वीकृती मई 2009 में देते हुए राज्य उच्च पथ प्रमंडल को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त करने का आदेश जिलाधिकारी गया को दिया गया जिसके लिए प्राप्त आवंटन 179.53 लाख में से कुल रू0 179.53 लाख नियुक्त एजेन्सी को दिसम्बर 09 से मार्च 10 के बीच दिया गया। इसी बीच जुलाई 2010 में गुरारू की जगह कोच में निर्माणादेश किया

गया। इसमें से शेरघाटी का निर्माण पूर्णकिया गया था। फिर माह अगस्त 10 में जिलाधिकारी द्वारा चार प्रखंडो क्रमशः अतरी, गुरूआ, आमस एवं बेलागंज में निर्माण का आदेश निर्गत करते हुए एन0 आर0 ई0 पी0 गया को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया तथा दिनांक 31.03.11 को 120 लाख एवं 27.03.12 को उच्च पथ प्रमंडल को रू0 30 लाख निर्गत किया गया।

इस प्रकार इस जिला को कुल आवंटित राशि रू0 4,35,27,000.00 में से दोनो एजेसियों को दल रू0 3,29,53,000.00 उपलब्ध कराये गये तथा शेष रू0 1,05,74,000.00 की राशि कोषागार से निकासी कर बैकों में रखी हुई थी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सिर्फ राशि उपलब्ध कराकर कार्य की प्रगति एवं उसके गुणवता पर दृष्टि नहीं रखा गया। अंकेक्षण में कार्य की अद्यतन स्थिति, गुणवता, अभिश्रव एवं उपयोगिता से सम्पान्धित अभिलेखादि उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अतः सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण कराने की उदासनिता के कारण रू0 3,29,53,000.00 उपलब्ध के बावजूद कार्य अपूर्ण रहा।

इस दिशा में की गई कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये तबतक राशि रू0 3,29,53,000.00 समायोजन हेतु सम्बित की श्रेणी में रखी जाती।

(16) <u>राशि रू0 2,88,95,766.00 का व्यय अंकित पर अभिश्रव अनुपलब्ध राशि आपतिन्तर्गत</u> :–

विभिन्न योजनाओं के सहायक रोकड़ पुस्त एवं संगत अभिलेखों के जाँचक्रम में पाया गया कि राशि रू0 2,88,95,766.00 के समतुल्य अभिश्रव गार्ड फाईल में मौजूद नहीं था। अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कराया जा सका। अनुपलब्ध अभिश्रवों की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'छ' पर अंकित है। अभिश्रव उपलब्ध नहीं कराने के कारण रू0 2,88,95,766.00 व्यय की औचित्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः वार्णित राशि आपतिन्तर्गत रखी जाती है। प्रशासी विभाग को सुझाव दिया जाता है कि अप्रस्तुत अभिश्रव कर तथा वास्तविकता की संगत अभिलेखों के जाँच एवं सत्यापन कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

(17) एक योजना से दूसरे योजना में मद का विचलन रू0 1,83,07,835.00 प्रशासी विभाग द्वारा समीक्षा का सुझाव :–

सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाएं यथा– आइसोपोप योजना, माइक्रोमेड, केन्द्रीय बीज ग्राम योजना, राज्य प्रोत्साहन योजना (पावर टीलर) जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, कृषि विकास योजना एवं मिट्टी जाँच, उर्वरक, प्रयोगशालन स्थापना एवं अन्यन आदि के लिए अलग–अलग आवंटन प्राप्त होता है, तथा लक्ष्य के अनुरूप नियमानुसार राशि अनुदान के रूप में व्यय किया जाता है। अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि एक योजना से दूसरे योजना में बड़ी राशि का विचलन किया गया था परन्तु इसके लिए सक्षम पदाधिकारी का स्वीकृतादेश नहीं लिया गया था। अंकेक्षण में मद अन्तरण का औचित्यता स्पष्ट नहीं किया गया। अतः विभागीय पदाधिकारियों द्वारा इस प्रकार के विचलन के औचित्यता की जाँच कर लिया जाये तथा परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करया जाये। विवरण इस प्रकार है–

तिथि	विवरण	राशि	अभियुक्ति
15.05.10	आईसोपोप से बीज ग्राम योजना मद में अंतर	30,00,000.00 3,60,000.00	चेक सं0–100089 / 15.05.10 चेक सं0–004715 / 08.07.10
27.06.11	राज्य प्रोत्साहन (दिलर) से मैक्रोमोड योजना में	69,60,000.00	शंभु कुमार एवं अन्य 1/6 लाभावितो को भुगतान
09.03.11	बीज ग्राम योजना से राज्य कृषि विकास योजना में	35,37,510.00	विपत्र सं0–110 / 10–11 3183759.00 विपत्र सं0–111 / 10–11 3,53,751.00
31.03.11	मिट्टी जाँच मद से स्थापना मद में	40,54,295.00	
29.02.12	राष्ट्रीय कृषि विकास से योजना से स्थानातरित कर जैविक खेती	3,96,030.00	चेक सं0–6418261 / 29.02.12

	प्रोत्साहन योजना में लाया गया तथा विनय कुमार सिंह एवं अन्य को अनुदान भुगतान किया।	1,83,07,835.00	

(18) आपूर्तिकर्त्ता को अनुदान का भुगतान राशि रू0 62,98,338.00 अनियमित, भुगतान आपतिन्तर्गत :–

अनुदान योग्य विविध मदों के अभिलेखों के जाँचक्रम में पाया गया कि बीज, उर्वरक, सिंचाई पाईप, सूक्ष्म तत्वों तथा कृषि उपकरणों आदि में अनुदान के रूप में भारी राशि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ताओं को किया गया था। यह अनुदान कार्यालय से सीधे चेक के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को अनुदान भुगतान का आधार उनके द्वारा प्रस्तुत अनुदान रसीदों को बनाया गया था।

आपूर्तिकर्त्ता को अनुदान भुगतान किये जाने के औचित्यता के जाँच क्रम में पाया गया कि इस प्रकार के अनुदान भुगतान में लाभान्वितों की कोई भूमिका नहीं थी। कार्यालय में किसानों/लाभान्वितों द्वारा दिया गया आवेदन पत्र (जो अनुदान प्राप्ति के लिए हो), किसानों का पहचान साक्ष्य, कृषकों द्वारा विगत वर्षो में संगत योजना का लाभ लिया गया है या नहीं उसका प्रमाण, त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों का अनुशंसा पथ लाभान्वितों के जमीन जायदाद का घोषण पत्र था अन्य साक्ष्य,अनु0 जाति जनजाति का प्रमाण पत्र, अनुदान का स्वीकृत्यादेश चयनित लाभान्वितों का सूची था क्रमानुसार पंजी, लाभन्वित द्वारा वैसे क्रय का साक्ष्य जिस पर अनुदान का दावा किया गया हो, किसानों द्वारा अनुदान पर क्रीत सामग्री का रैंडम जाँच प्रतिवेदन आदि कार्यालय द्वारा संधारित नहीं किया गया था। निष्कर्स यह कि कृषकों द्वारा अनुदान का अभियाचना नहीं किये जाने के बावजूद आपूर्तिकता को मोटी राशि अनुदान के रूप में भुगतान कर दिया गया था।

अंकेक्षण के दृषिटकोण से अनुदान भुगतान का यह तरीका अत्यन्त ही भ्रामक तथा संदिग्ध है। इस प्रक्रिया में आपूर्तिकर्त्ता को अनैतिक लाभ पहुँचाये जाने के संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान कुल अनुदान राशि रू0 62,98,338.00 का विवरण परिशिष्ट 'ज' पर अंकित है।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस अनियमितता की ओर आकृष्ट कराया जाता है तथा सुझाव है कि आवश्यक जाँचोपरान्त प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराये जाने तक राशि रू0 62,98,338.00 आपतिन्तर्गत रखा जाता है।

(19) <u>बीज उर्वरक एवं कर्मी बेड का अनियमित क्रय रू0 31,00,778.00 आपतिन्तर्गत</u> :–

विभिन्न योजनान्तर्गत अभिलेखों के जाँच क्रम में स्पष्ट हुआ कि आइसोपोम योजनान्तर्गत वर्ष 10–11 में मक्का प्रत्यक्षण कि रू0 4,80,000.00 राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 11–12 में श्री विधि धान एवं उर्वरक प्रत्याक्षण हेतु रू0 13,99,278.00 तथा जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 10–11 में बर्मी बेड क्रय हेतु रू0 12,21,500.00 कुल रू0 26,71,778.00 का भुगतान विभिन्न आपूर्तिकर्त्ता को किया गया था। उक्त क्रम के विरूद्ध कार्यालय द्वारा क्रय प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था। क्रय हेतु विज्ञापन, टेन्डर कोटेशन, क्रय समिति गठन आदि प्रक्रिय पूरी नहीं की गई थी। बीज, उर्वरक एवं कर्मी बेड की गुणवता की जाँच सक्षम पदाधिकारी या दक्ष पदाधिकारी द्वारा नहीं कराया गया था। अंकेक्षण में उक्त क्रीत सामग्री का भंडार पंजी तथा वितरण पंजी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अभिश्रवों पर भी भंडार प्रविष्टि किया गया इसका प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा अंकित नहीं पाया गया था। इतना ही नहीं आइसोपोम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 10–11 में मन्डा प्रत्यदान हेतु मक्का क्रय पर किया गया व्यय राशि रू0 4,80,000.00 का भुगतान आइसोपोम मद से किये जाने के स्थान पर मैडोमोड योजना से किया गया था। मक्का का क्रय विभागीय पत्रांक 1194 दिनांक 21.06.10 के निदेशनुसार क्षेत्रीय प्रबंधक, नेशनल सीड कारपोरेशन, पटना से किया जाना था परन्तु निदेश की अवहेलना करते हुए यह क्रय मे0 अजय सीड, गया से किया गया था। इस प्रकार राशि रू0 31,00,778.00 व्यय में घोर अनियमित्ता बरती गई थी। व्यय का विवरण परिशिष्ट 'झ' पर अंकित है।

इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान यथेचित कार्रवाई हेतु आकृष्ट कराया जाता है तबतक राशि रू0 31,00,778.00 आपतिन्तर्गत रखा जाता है। जाँचोपरान्त प्राप्त प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

(20) प्रयोगशाला के अपूर्ण निर्माण में व्यय राशि रू0 10.50 लाख आपत्तिअन्तर्गत :–

बिहार सरकार कृषि विभाग के पत्रांक पी0 पी0 एम–193/06.07.15 दिनांक 03.01.07 द्वारा गया जिला के लिए जिला स्तर पर मिट्टी एवं बीज परिक्षण 5 लिए 10.50 लाख रूपये आवंटित किया गया था। इस राशि से प्रयोगशाला का निर्माण कृषि पक्षेत में किया जाना था। स्थल का चयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक की सहमति से किया जाना था।

स्थल के संबंध में सरकार के अपर सचिव कृषि विभाग ने अपने पत्रांक 1598 दिनांक 19.04.07 में संयुक्त कृषि निदेशक मगध प्रमंडल गया द्वारा नगर प्रखंड उधान नर्सरी की दो एकड़ जमीन में प्रयोगशाला निर्माण के निर्णय को अनुमोदित कर दिया गया था। परन्तु दो साल विलंब से अंचल अधिकारी गया सदर के पत्रांक 266 दिनांक 18.06.09 द्वारा जमीन उपलब्ध कराई गई।

प्रयोगशाला निर्माण का प्राक्कलन जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त एजेन्सी ग्रामीण अभियंत्रण संगठन गया–2 द्वारा तैयार किया गया तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया गया। कार्यालय अभियन्ता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल–2 गया ने अपने पत्रांक 200 दिनांक 08.08.09 के जरिये स्वीकृति राशि का भुगतान हेतु अनुरोध किया ताकि स्थल पर कार्य आरम्भ किया जा सके।

कृषि कार्यालय द्वारा प्रथम अग्रिम दिनांक 20.08.09 को चेक सं0 606519 के द्वारा 5 लाख का भूगतान किया गया। परन्तु बिना मापी पुस्त/अभिश्रव तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये पुनः 27.03.10 को पुनः चेक सं0 135542 दिनांक 20.04.10 द्वारा 2,50,000.00 तथा दिनांक 31.03.11 को चेक सं0 135545 दिनांक 31.03.11 द्वारा 3,00,000.00 रू0 का भुगतान किया गया। इस प्रकार बिना पूर्व के अग्रिम को रूपायोन्ति किये कुल रू0 5.50 लाख अग्रिम कर किया गया। इस तरह बिना कार्य होने (मापी) की सूचना के कुल आवंटित राशि य0 10,50,000.00 का भुगतान कर दिया गया।

पूर्ण अग्रिम कार्याकारी एजेन्सी को भुगतान कर दिये जाने के बाद भी अंकेक्षण समाप्ति अर्थात् 7 वर्ष बाद भी प्रयोगशाला जिला कृषि कार्यालय को हस्तगत नहीं कराया जा सका था। अंकेक्षण में मापी पुस्त एवं अग्रिम व्यय का अभिश्रव/उपयोगिता प्रमाण

पत्र जिला कृषि कार्यालय का उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्याकारी एजेंसी एवं जिला कृषि कार्यालय के शिशिलता के कारण कार्य अब तक पूर्ण नहीं किया जा सका था। जिला में संचालित पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयोगशाला की स्थापना विगत 6 वर्षो में नहीं किया जा सका था।

इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट किये जाने तक राशि रू0 10.50 लाख आपतिन्तर्गत रखा जाता ।

(21) <u>प्रयोगशाला निर्माण के पूर्व प्रयोगशाला उपकरण एवं रसायन के क्रय पर व्यय रू0 3,73,928.00 आपतिन्तर्गत</u> :–

मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक एवं प्रयोगशाला स्थापना एवं उन्नयन मद के जाँच क्रम में पाया गया कि बिहार सरकार कृषि विभाग के पत्रांक पी0 पी0 एम0–193/06.07. 15 दिनांक 03.01.07 द्वारा गया जिला के लिए जिला स्तर पर मिट्टी एवं बीज परीक्षण के लिए 10.50 लाख आवंटित किया गया था। परन्तु अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि पूर्ण राशि अग्रिम दे दिये जाने के बावजूद अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक अर्थात 7 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रयोगशाला निर्माण कर कृषि विभाग को हस्तगत नहीं कराया जा सका था।

अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि प्रयोगशाला कार्यरत नहीं होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 में अनावश्यक रूप से प्रयोगशाला उपकरण एवं रसायन के क्रय पर य0 3,73,928.00 व्यय किया गया था। विहित हो कि रसायन/ उपकरणों के समय के अंतराल के साथ क्षय/क्षरण होने के कारण कोई उपयोगिता नहीं रथ तथा रू0 3,73,928.00 के नष्ट एवं बर्बाद होने के संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण में सामग्री की भंडार प्राविष्टि, गुणवता की जाँच का प्रमाण तथा क्रय समिति के अनुशंसा का साक्ष्य भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं था।

अतः अनावश्यक रूप से क्रय हेतु निर्णय लिये जाने की जाँच विभागीय स्तर पर भी करा लिया जाये तथा दोषी व्यक्ति पर जबावदेही भी निर्धारित कर राशि वसूली की दिशा में यथोचित कार्रवाई किया जाना चाए। क्रय सामग्री का विवरण इस प्रकार है :–

क्रम तिथि	भुगतान तिथि एवं चेक सं0	समग्री का नाम	राशि
24.04.10	20.04.10 / 135541	प्रयोगशाला, उपकरण	1,89,203.00
24.05.10	24.04.10 / शून्य (नगद व्यय)	प्रयोगशाला, प्रशिक्षण	44,289.00
02.07.10	02.07.10 / शून्य (नगद व्यय)	मिट्टी नमूना, संग्रह	750.00
21.03.12	21.03.12 / शून्य	केमीकल एवं बायोगैस	1,39,686.00
		कुल राशि	**3,73,928.00**

विदित हो कि अंकेक्षण में उक्त क्रय से संबंधित अभिश्रव भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। राशि वसूली हेतु किये गये कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

(22) <u>अनुदान का काल्पनिक भुगतान रू0 1,48,900.00 का संभावित दुर्विनियोग</u> :–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सहायक रोकड़ पुस्त एवं अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चाराकल मशीन किसानों द्वारा क्रय किये जाने पर 50% अनुदान की व्यवस्था थी। निर्धारित आपूर्तिकर्त्ता से किसानों द्वारा आधे मूल्य का भुगतान कर चाराकल मशीन प्राप्त कर लिया जाना था। शेष आधा मूल्य अनुदान के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान क़र दिया जाता था। यह अनुदान किसानों द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर आपूर्तिकर्त्ता को प्रतिपूर्ति की जाती थी।

अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि उक्त अनुदान हेतु किसानो द्वारा आवेदन नहीं दिया गया था, और न ही किसानों द्वारा मशीन पावती या क्रय का हस्तादारित साक्ष्य कार्यालय अभिलेख में मौजूद था। आपूर्तिकर्त्ता में0 रामचन्द प्रसाद कुटियार, टेकारी रोड गया द्वारा कुल 53 किसानों को निर्गत रसीद एवं रसीदों की समेकित विवरणी तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था तथा रू0 1,48,900.00 अनुदान के क्रम में भुगतान किये जाने का दावा किया गया था। कार्यालय द्वारा बिना आवश्यक जाँच पड़ताल के राशि रू0 1,48,900.00 चेक संख्या–632274 दिनांक 15.09.11 द्वारा भुगतान आपूर्तिकर्त्ता को कर दिया गया।

ज्ञातव्य हो कि जिन किसानेां को चाराकल के आपूर्ति के विरूद्ध आपूर्तिकर्त्ता को अनुदान राशि दिया गया था उन किसानों द्वारा कार्यालय में अनुदान के लिए न हो आवेदन दिया गया था और न ही सक्ष्य पदाधिकारी द्वारा उन अभिश्रवों को पारित किया गया था जो आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपूरित चाराकल मशीनों का रैंडम भौतिक सत्यापन भी कार्यालय द्वारा नहीं कराया गया था।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि कार्यालय और आपूर्तिकर्त्ता के संलिप्ता से अनुदान राशि का दुरूपयोग किया गया है। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत 53 किसानों को निर्गत रसीद का विवरण परिशिष्ट 'ञ' पर अंकित है। अतः उच्च पदाधिकारियों द्वारा स्थिति की जाँच कर लिये जाने तक राशि रू0 1,48,900.00 आपतिन्तर्गत रखी जाती है। जाँचपरान्त प्राप्त प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

(23) <u>प्राप्ति हस्ताक्षर के अभाव में राशि रू0 57,000.00 का व्यय आपतिन्तर्गत</u> :–

जौविक खेती प्रोत्साहन योजना के अभिश्रवों के जाँचक्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राप्ति कृषकों को प्रति वेड 4 किलो के दर से केंचुआ उपलब्ध कराना था ताकि कर्मी कम्पोस्ट तैयार कराया जा सके। प्रति 4 किलो केंचुआ क्रय पर अनुदान 250.00 प्रति किलो के दर से कुल अनुदान 1000.00 रूपये की व्यवस्था थी। उक्त दर से कुल रू0 3,45,000.00 चेक सं0–301656 दिनांक 08.08.11 को 333 कृषकों के अनुदान का भुगतान में0 सुमोगी इन्टरप्राइजेज गया–नवादा रोड, मानपुर गया को दिया गया था।

आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिश्रवों के जाँचक्रम में पाया गया कि किसानें के नाम से निर्गत तथा पारित रसीदो पर केचुंआ का उठाव सम्बंधित पंचायत के एस0 एम0 एस0 द्वारा किया गया था। कुल 57 कृषकों के नाम से निर्गत केचुंआ जिसकी कुल मात्रा 57 कृषक प्रति 4 किलो =228 किलो घी तथा अनुदान राशि रू0 57,000.00 थी जो आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे पता चले कि कुल 228 किलो केचुंआ संगत किसानों को हस्तगत कराया गया। वैसा कृषक जिसे एस0 एम0 एस0 द्वारा केचुंआ हस्तगत नहीं कराया गया विवरण परिशिष्ट 'ट' पर अंकित है। उच्चाधिकारी द्वारा पूर्ण जाँच होने तथा स्थिति स्पष्ट होने तक कुल 228 किलो

केचुंआ के अनुदान राशि रू0 57,000.00 जो आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किया गया आपतिन्तर्गत रखा जाता है।

(24) <u>रू0 58,20,381.75 कोषागार में जमा योग्य</u> :–

(क) मैक्रोमोड योजना अन्तर्गत संधारित सहायक रोकड़ पुस्त एवं बैंक खाता सं0–871298209 (इंडियन बैंक) को अंत शेष दिनांक 31.03.12 को क्रमशः रू0 57,92,747.75 था तथा बैंक में अवशेष रू0 47,92,512.00 था। वर्तमान में मैक्रोमोड योजना बंद किया जा चुका है। अतः अब भविष्य में इस योजना पर व्यय किये जाने की संभावना नहीं है। कार्यालय द्वारा रोकड़ पुस्त एवं बैंक खाता संख्या के अंत शेष के अंतर को बैंक समाशोधन विवरणी बना कर ज्ञात कर लिया जाये तथा स्थापित राशि विभागीय अनुमोदन उपरान्त सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाये। उपरोक्त समाशोधन विवरणी न बनाये जाने के दशा में रोकड़ पुस्त के अंत शेष में पाई जानेवाली राशि रू0 57,92,747.75 सरकारी कोष में जमा करा दिया जाये।

(ख) वर्ष 2010–11 के रोकड़ पंजी एवं आगस्मिग्ता मद के अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि कार्यालय व्यय, वाहन एवं दूरभाष मद में प्राप्त आवंटन राशि 27,634.00 की निकासी कोषागार से कर लिया गया परन्तु उक्त राशि भौतिक सत्यापन तिथि अर्थात दिनांक 25.01.14 तक व्यय नही किया जा सका था। यह प्रक्रिया नियमानुकुल नहीं है। व्यय के प्रत्याशा में राशि की निकासी नहीं किया जाना । अतः उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए विवरण इस प्रकार है :–

शीर्ष	विपत्र सं0	तिथि		
2401	194 / 10–11	31.03.11	कार्यालय व्यय	5,000.00
	193 / 10–11	31.03.11	वाहन मद	7,600.00
	198 / 10–11	31.03.11	दूरभाष	11,034.00
			कुल राशि	23,634.00
	195 / 10–11	31.03.11	यात्रा भत्ता मद	4,000.00
				27,634.00

इस प्रकार कंडिका के भाग (क) की राशि रू0 57,92,747.75 एवं कंडिका के भाग (ख) की राशि 27,634.00 कुल राशि रू0 58,20,381.75 सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाये तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(25) रोकड़ पुस्त में अंकित अग्रिम रू0 2,00,54,172.00 समायोजन योग्य :–

सहायक रोकड़ पुस्तों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि विभिन्न मदों में अग्रिम रोकड़ पुस्त के व्यय पदाधिकारी में अंकित कर लिया जाता था। अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि अग्रिम किये गये राशि रू0 2,00,54,172.00 का समायोजन किया जा सका या नहीं। अग्रिम राशि को रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में अंकित किये जाने के कारण अग्रिम समायोजन को शत् प्रतिशत् सही माना जाना नियम संगत नहीं होगा। अग्रिम पंजी का संधारण कर सभी अग्रिम के विरूद्ध समायोजित किये गये राशि का तिथियुक्त विवरण अग्रिम पंजी में संधारित कर सक्षम पदाधिकारी से प्रमाणित कराया जाना चाहिए। अंकेक्षण के समक्ष राशि रू0 2,00,54,172.00 के समायोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं किया जा सका। अग्रिम का विवरण परिशिष्ट "ठ" पर अंकित है। वस्तुस्थिति से उच्च पदाधिकारियों को भी अवगत कराया जाये तथा समायोजन की स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाये।

भाग–3

(26) वित्तीय वर्ष के अंत में भारी अन्तशेष रू0 6,69,80,816.05 को बैंक खातों में नहीं रखे जाने का सुझाव :–

बिहार कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार सरकारी राशि की निकासी तभी की जानी है जब उसकी तत्काल आवश्यकता है व्यय के प्रत्याशा में अथवा राशि को व्ययगत होने से बचाने के लिए राशि का निकासी किया जाना वर्जित है। व्यय के प्रत्याशा में राशि का निकासी कर बैंक में या नगद रखना अनुमान्य नहीं है। वित्त आयुक्त वित्त विभाग के पत्रांक 8563 दिनांक 31.12.2001 के द्वारा सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि बिहार कोषागार संहिता के उक्त प्रावधान का कठोरता से पालन किया जाये और बैंक खाते को तुरन्त बंद करा दिया जाये और उससे राशि निकासी कर संचित निधि सिविल जमा में अविलंब जमा कर दी जाये।

जिला कृषि पदाधिकारी गया में दिनांक 31.03.12 को रू0 6,69,80,816.05 संवरण शेष के रूप में पड़ा हुआ था जिसका विवरण परिशिष्ट 'ड' पर अंकित है।

(27) रोकड़ पुस्त में राशि रू0 6,07,24,575.00 आय एवं व्यय की प्रविष्टि नहीं :–

(i) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण दिनांक 24.07.08 से दिनांक 12.04.10 के मध्य कुल राशि रू0 5,97,36,887.00 का आय एवं व्यय अंकित नहीं किया जा सका था। अंकेक्षण अवधि में दिनांक 13.04.10 से रोकड़ के प्रति एवं व्यय का संधारण प्रारम्भ किया गया था। अंकेक्षण समाप्ति तक दिनांक 24.07.08 से दिनांक 12.04.10 तक सहायक रोकड़ पंजी का संधारण कर अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया। विवरण इस प्रकार है–

दिनांक	प्राप्ति का स्रोत	चेक / नगद / डाफ्ट	राशि (प्राप्ति)
24.07.08	वामेति,पटना	ज्ञापांक–398354 / 31.08.08	18,30,006.00
15.01.09	परियोजना निदेशक आत्मा, पटना	चेक–628276 / 12.01.09	68,50,000.00
27.03.09	परियोजना निदेशक आत्मा, पटना	शून्य	50,000.00
09.06.09	परियोजना निदेशक आत्मा, पटना	628278 / 24.03.09	32,08,000.00
18.02.09	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, गया	608106 / 18.02.09	53,881.00
14.08.09	परियोजना निदेशक आत्मा, पटना	58077 / 10.08.09	1,69,26,000.00
26.08.09	परियोजना निदेशक आत्मा, पटना	580678 / 26.08.09	42,42,000.00
23.12.09	वनीय पौधा संरक्षण पदा0, गया	826460 / 16.12.09	8,50,000.00
03.03.09	परियोजना निदेशक आत्मा, पटना	580680 / 03.03.09	34,42,000.00
12.04.10	परियोजना निदेशक आत्मा, पटना	580681 एवं 580682 / 12.04.10	2,22,85,000.00
		राशि–	**5,97,36,887.00**

(ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद अन्तर्गत बीज, उपकरण, उपादानों आदि के परिवहन के लिए भुगतान राशि को सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय पदा में अंकित नहीं किया गया थां जिसका विवरण इस प्रकार है–

भु0 दिनांक	चेक सं0 / तिथि	व्यय राशि
07.07.11	632195 / 07.07.11	10,000.00
21.07.11	632213 / 21.07.11	7,438.00
22.07.11	632214 / 22.07.11	10,000.00
02.08.11	632223 / 02.08.11	10,000.00
13.09.11	632219 / 13.09.11	45,500.00
	योग–	82,938.00

अंकेक्षण समाप्ति तक राशि रू0 82,938.00 का व्यय प्रविष्टि कर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) समेकित सिरियल विकास योजना अन्तर्गत संधारित सहायक रोकड़ पुस्त में कोई प्रत्यक्षण हेतु भुगतान राशि को व्यय पदा में अंकित नहीं किया गया था। विवरण इस प्रकार है–

दिनांक (भुगतान) एवं चेक सं0	क्रय तिथि	आपूर्तिकर्त्ता	सामग्री एवं मात्रा	राशि
31.03.11 चेक सं0–24500 / 14.03.11	20.12.10	मे0 अजय सीड कार्य, विलन्दपुर, गया।	गेहु बीज P.B.W-373 188 क्विंटल	4,70,000.00
31.03.11 चेक सं0–24499 / 14.03.11	12.01.11	मे0 अरिहन्त इन्टरनेशनल जमाल रोड, पटना	24 470 पै0 प्रति पैकेट 500 ग्राम @ 220 प्रति किलो	51,700.00
			जिंक 21% 4,700	1,97,400.00

			किलो N.P.K 2350 किलो	 1,85,650.00
			योग–	**9,04,750.00**

इस प्रकार (i) 5,97,36,887.00+(ii) 82,938+(iii) 9,04,750.00= कुल रू0 6,07,24,575.00 की प्रविष्टि रोकड़ पुस्त में नहीं की गई थी। उपर्युक्त राशियों की संधारित कर अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(28) बैंको में अर्जित ब्याज राशि रू0 18,54,417.00 उपयोग नहीं, वापस/जमा किये जाने का सुझाव :–

सामान्यतयता केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं में बैंको से प्राप्त ब्याज की राशि का उपयोग उसी योजना पर किया जाना चाहिए जिस प्रयोजना हेतु केन्द्रांश/आवंटन/अनुदान दिया जाता है जैसा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाएं राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन (NFSM) मेक्रोमांइड योजना ई0 किसान भवन आदि। इसी प्रकार यह प्रक्रिया इन योजनाओं हेतु भी अपनाया जाना चाहिए।

जिला कृषि पदाधिकारी, गया के कार्यालय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में राशि बैंक खाताओं में जमा किया गया और लेन–देन किया गया। कुछ योजना जैसे आइसोपोम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु प्राइवेट बैंको में खाता संधारित किये गये जो नियमानुकुल नहीं है। इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2163 दिनांक 21.08.12 के अनुसार एक्सीस बैंक, आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 बैंक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक आदि में सरकारी राशि नहीं रखे जाने है। इसके बावजूद प्राइवेट बैंक से लेन–देन किया गया। जाँचक्रम में पाया गया कि अंकेक्षणधीन वर्षो में कुल राशि रू0 18,54,417.00 ब्याज के रूप में अर्जित किया गया था जिसका विवरण परिशिष्ट " ढ " पर अंकित है, इन राशियों का उपयोग सम्बंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में नहीं किया जा रहा था। विभिन्न योजनान्तर्गत बैंको में जमा राशि पर अर्जिज ब्याज की राशि कर संधारण सम्बंधित रोकड़ पुस्त या अलग रोकड़ पंजी में संधारित नहीं किया गया था।

विदित हो कि ब्याज की राशि का उपयोग से सम्बंधित कोई निर्देश योजना के मार्ग दर्शिका में उल्लेख नहीं किया गया था। किन्तु इस सम्बंध में मिला कृषि पदाधिकारी द्वारा विभाग से निर्देश प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। इस संबंध में किये गये कार्रवाई से तथा कोषागार में जमा कर अथवा वापस कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

भाग–3

(29) मुख्य तथा सहायक रोकड़ बही का अनियमित संधारण :–

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले मुख्य तथा सहायक रोकड़ पुस्तों में प्रविष्टियाँ अद्यतन नहीं रखी जाती थी। मुख्य रोकड़ बही में अन्य सहायक रोकड़ बही के प्राप्ति पदा एवं व्यय के अंत शेष की राशि तथा व्यय पदा की राशि को मात्र तिथिवार दर्शाया गया था। प्राप्ति तथा व्यय पदा विपत्र संख्या, अभिश्रव संख्या आदि अंकित किया जाना अनावश्यक कार्य समझा गया। रोकड़ बही में प्रारम्भण तथा अंत शेष निकालने की प्रक्रिया गलत थी। साथ ही आवश्यक संशोधन जहाँ–जहाँ किया गया था वहाँ whitner का प्रयोग किया गया था। एक ही स्थान पर कई–कई बार अंको को काटा तथा लिप्त लेखन किया गया था। यह रोकड़ पंजी में पूर्णतः वर्जित है। जहाँ अपेक्षित सुधार की आवश्यकता थी वहाँ लाल पेन से काट कर सही अंकन किया जाना चाहिए था। तथा सक्षम पदाधिकारी से साक्ष्याकंन भी किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त मासिक संवरण शेष की विस्तृत विवरणी भी नहीं बनाया जा रहा था। अतः भविष्य में इन त्रुटियों से बचा जाना चाहिए।

(30) प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा भंडार पंजी का संधारण नहीं :–

जिला कृषि कार्यालय से विभिन्न प्रखंड कृषि कार्यालयों को श्री विधि धान, गेहूँ प्रत्यदान, मक्का, अरहर तथा उर्वरक, रसायन आदि कृषकों को विवरण करने हेतु निर्गत किया गया था। परन्तु जिला कृषि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंशिक भंडार पंजी के अवलोकन से विदित हुआ कि प्रखंड कृषि कार्यालयों ने निर्गत सामग्रीयों का लेखा जोखा रखने के लिए भंडार पंजी का समुचित संधारण नहीं किया था। प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा न तो आगत सामग्री को भंडार पुस्त में चढ़ाया गया था और न ही कृषकों को निर्गत सामग्री का

ब्योरा भंडार पंजी में रखा गया था। उदाहरण स्वरूप प्रखंड कृषि कार्यालय कोच एवं टेकारी द्वारा हस्तगत सामग्रीयों का ब्योरा परिशिष्ट 'ण' पर अंकित है। वर्णित सामग्रीयों को प्रखंड कृषि कार्यालय द्वारा भंडार पुस्त के आगत–निर्गत पदा में नहीं लिया गया है। इन सामग्रीयों की प्रविष्टि भंडार पंजी में कर लिया जाये तथा अन्य प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा भी भंडार पंजी का संधारण किया जाना सुनिश्चित करा लिया जाये।

इस दिशा में किये गये कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

(31) बैंक समाशोधन विवरणी नहीं बनाया जाना :–

कार्यालय द्वारा संधारित रोकड़ बही एवं बैंक स्टेटमेंट जाँचोपरान्त पाया गया कि रोकड़ बही के अंतशेष एवं बैंक खाता में अवशेष राशि में काफी मित्रता थी, जिसका विवरण परिशिष्ट 'त' पर अंकित है। ज्ञातव्य हो कि कार्यालय द्वारा रोकड़ बही में मासिक एवं वर्ष के अंतिम तिथि में संवरण शेष का विस्तृत विवरणी तैयार नहीं किया गया था। साथ ही चेक निर्गत पंजी अग्रिम पंजी आदि का संधारण नहीं किया गाय था। रोकड़ पुस्त के आय एवं व्यय पदा में भी प्रविष्टी के सन्तुष्टि में सुचनाओं के आभाव में अंकेक्षण क्रम में भी रोकड़ पुस्त एवं बैंक खाता के अंत शेष के मित्रताओं के कारण को स्पष्ट नहीं किया जा सका। निर्गत आपित का अनुपालन नहीं किया गया। अतः बैंक समाशोधन तैयार कर अगले अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया जाए।

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षर
मो0 ओबैदल्लाह जावेद

05/01/16

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

परिशिष्ट 'क' कंडिका– 1 (ट) से सम्बंधित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेख–

(1) सहायक रोकड़ पुस्त सभी मदों का	वर्ष 2010–11 से 2011–12
(2) मुख्य रोकड़ पंजी	वर्ष 2010–11 से 2011–12
(3) विपत्र पंजी	वर्ष 2010–11 से 2011–12
(4) कोषागार मैसेन्जर पंजी	वर्ष 2010–11 से 2011–12
(5) अभिश्रव	वर्ष 2010–11 से 2011–12
(6) वेतन भुगतान पंजी	वर्ष 2010–11 से 2011–12
(7) बैंक विवरणी	वर्ष 2010–11 से 2011–12

अप्रस्तुत अभिलेख :–

(1) चेक निर्गत पंजी एवं चेक बुक की अधपट्टी

(2) आकस्मिकता पंजी

(3) अग्रिम पंजी

(4) अभिश्रव एवं (आंशिक)

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन, निरिक्षण प्रतिवेदन एवं नियम– परिनियमों का गार्ड फाईल

(6) योजनाओं का स्वहित्यादेश, क्रयादेश एवं स्वीकृतादेश संचिका

(7) सेवा पुस्त एवं निजि संचिका

(8) आवंटना देश एवं पद स्वीकृत्यादेश की मूल प्रति

(9) वाहन का लाभुक एवं स्थाई एवं अस्थाई सम्पातियों का भंडार पुस्त

परिशिष्ट 'ख' कंडिका– 03 (वित्तीय समीक्षा) से सम्बंधित

आवंटन एवं व्यय विवरणी (अन्य मद)

वर्ष 2010–11

क्र0 सं0	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यापर्ण	अभियुक्ति
1	मैक्रोमोड योजना कार्यक्रम	1,36,03,000.00	1,36,02,676.00	–	324.00	–	प्रत्यापर्ण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	समेकित कटि प्रबंधन काय्रक्रम	6,73,000.00	6,72,656.00	–	344.00	–	
3	राज्य प्रोत्साहन पावर टिलर कार्यक्रम	2,40,000.00	2,40,000.00	–	–	–	
4	बीज ग्राम योजना	72,10,000.00	72,10,000.00	–	–	–	
5	जैविक खेती प्रत्सोहन योजना	92,00,000.00	92,00,000.00	–	–	–	
6	वेयर हाउसिंग योजना	96,60,000.00	96,60,000.00	–	–	–	
7	ई0 किसान भवन निर्माण	2,43,92,000.00	2,43,92,000.00	–			
8	कृषि में सूचना एवं संचार प्राधौगिकी को व्यवहार में प्रोत्साहन योजना	1,27,000.00	1,23,920.00	–	3,080.00		

आवंटन एवं व्यय विवरणी (स्थापना मद)

वित्तीय वर्ष 2010–2011

क्र0 सं0	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यापर्ण	अभियुक्ति
1	वेतन	76,50,000.00	72,50,607.00	—	3,99,393.00	—	प्रत्यापर्ण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	भत्ते	35,25,000.00	36,69,129.00	1,44,129.00		—	
3	यात्रा भत्ता	48,500.00	शून्य	शून्य	48,500.00	—	
4	मोटर गाड़ी व्यय	38,000.00	शून्य	शून्य	38,000.00	—	
5	कार्यालय व्यय	25,000.00	शून्य	शून्य	25,000.00	—	
6	वर्दी व्यय	34,000.00	शून्य	शून्य	34,000.00	—	
7	दूरभाष	30,000.00	शून्य	शून्य	30,000.00	—	

आय एवं व्यय विवरणी (स्थापना मद)

वित्तीय वर्ष 2011–12

क्र0 सं0	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यापर्ण	अभियुक्ति
1	वेतन	1,58,90,800.00	1,52,79,544.00	—	6,11,256.00	—	प्रत्यापर्ण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	भत्ता	7,96,35,600.00	87,00,880.00	—	7,09,34,720.00	—	
3	कार्यालय व्यय	40,000.00	33,418.00	—	6,582.00	—	
4	यात्रा व्यय	70,000.00	56,995.00	—	13,005.00	—	
5	ईधन एवं वाहन	60,000.00	41,202.00	—	18,798.00	—	
6	वर्दी पोशाक	8,000.00	6,000.00	—	2,000.00	—	
7	विधुत प्रभार	12,000.00		—	12,000.00	—	
8	दूरभाष	10,000.00	4,848.00	—	5,152.00	—	
9	किराया महसूल एवं कर	10,500.00		—	10,500.00	—	

आय एवं व्यय विवरणी (अन्य मद)

वित्तीय वर्ष 2011–12

क्र0 सं0	मद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यापर्ण	अभियुक्ति
1	मैक्रोमोड मैनेजमेंट कार्यक्रम	1,63,21,000.00	1,47,82,000.00	—	15,39,000.00	—	प्रत्यापर्ण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2	समेकित की प्रबंधन	6,69,000.00	6,44,235.00	—	24,765.00	—	
3	समेकित सिरियल विकास कार्य0	38,50,900.00	37,10,342.00	—	1,40,558.00	—	
4	आइसोपोम	33,87,000.00	33,54,720.00	—	32,280.00	—	
5	केन्द्रीय बीज उत्पादन कार्यक्रम	10,89,000.00	शून्य	—	10,89,000.00	—	
6	जैविक खेती प्रोत्साहन कार्य0	12,45,000.00	शून्य	—	12,45,000.00	—	
7	मिनी राइर्स मिल के प्रदर्शन राज्य योजना कार्यक्रम	1,50,000.00	90,562.00	—	59,438.00	—	

परिशिष्ट 'ग'

कंडिका– 06 से सम्बंधित

अंकेक्षित अवधि में बीज क्रय हेतु भुगतान राशि एवं बीज विक्री से प्राप्त एवं जिला कृषि कार्यालय में जमा राशि का पूर्ण विवरण :–

बिहार राज्य बीज निगम को भुगतान राशि					प्रखंड कृषि कार्यालयों से प्राप्त राशि						
क्र0 सं0	भु0 तिथि	चेक सं0 एवं तिथि	राशि	कुल राशि	क्र0 सं0	प्रखंड कार्यालय का नाम	नामिर रसीद सं0	तिथि	राशि	कुल राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	22.04.10	24275 / 24.02.09	20,00,000.00		1	नीमचक बथानी	584286	04.03.10	45,360.00		
2	22.04.10	024284 / 28.08.09	5,00,000.00				177601	06.05.10	51,000.00		
3	22.04.10	024346 / 25.01.10	4,36,063.00				177655	05.02.11	54,400.00		
4	22.04.10	024408 / 22.04.10	16,34,632				177691	22.10.11	11,115.00		
5	07.05.10	024472 /	10,00,000.00				179051	20.10.12	90,000.00	2,51,875.00	

		17.05.10									
6	03.06.10	024474 / 03.06.10	7,00,000.00		2	बेलागंज	584289	04.03.10	1,90,690.00		
7	07.06.10	024475 / 07.06.10	4,00,000.00				177641	03.01.11	1,02,000.00		
8	18.08.10	024489 / 18.08.10	5,00,000.00				177648	04.02.11	20,800.00		
9	05.02.11	024494 / 05.02.11	8,61,119.00				177686	22.10.11	46,800.00	3,60,290.00	
10	29.06.12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रोकड़ पुस्त में व्यय पदा0 में अंकित भुगतान निदेशक के पत्रांक (KKVY) कोषांग 271 / 20.11. 2072 दिनांक 15.05.12 के अनुसार	1,11,00,000.00	1,91,31,814.00	3	बोध गया	584287	04.02.10	1,13,025.00		
							584298	23.03.10	26,082.00		
							177624	31.05.10	98,650.00		
							177636	10.08.10	20,000.00		
							177639	03.01.11	54,400.00		
							177677	07.09.11	46,800.00	3,58,957.00	

					4	डुमरिया	584292	05.03.10	1,52,520.00		
							584294	10.03.10	28,052.00		
							177658	09.02.11	20,800.00		
							177663	21.12.11	1,02,000.00		
							177678	20.09.11	46,800.00	3,50,172.00	
					5	कोच	677603	06.05.10	1,52,520.00		
							677604	06.05.10	76,800.00		
							177646	04.02.11	1,02,000.00		
							177656	05.02.11	20,800.00		
							177672	03.09.11	46,800.00	3,98,920.00	
					6	आमस	584295	10.03.10	20,976.00		
							177606	06.05.10	51,000.00		
							177637	27.01.11	33,600.00		
							177657	05.02.11	1,02,000.00		
							177673	03.09.11	46,800.00	2,54,376.00	
					7	परैया	177605	06.05.10	1,46,410.00		
							177642	03.01.11	20,280.00		

							177680	15.10.11	50,000.00		
							177696	06.01.11	46,800.00	2,63,490.00	
					8	डोभी	584296	18.03.10	51,700.00		
							177640	03.01.11	54,400.00		
							177665	21.12.11	1,02,000.00	2,08,100.00	
					9	मोहरा	584290	04.03.10	64,830.00		
							177602	06.05.10	51,700.00		
							177690	22,10.11	60,000.00		
							177694	05.11.11	15.600.00		
							177689	22.10.11	33,600.00	2,25,730.00	
					10	अतरी	584291	04.03.10	16,380.00		
							177608	06.05.10	49,470.00		
							177616	17.05.10	51,700.00		
							177668	09.03.11	33,000.00		
							177693	05.11.11	46,800.00		
							177643	03.01.11	10,000.00	2,07,350.00	
					11	मोहनपुर	584293	10.03.10	3,03,700.00		

							177626	03.06.10	6,900.00		
							177661	21.12.11	1,02,000.00		
							177674	05.09.11	20,800.00	4,33,400.00	
					12	टनकुप्पा	177609	13.05.10	1,68,165.00		
							177685	22.10.11	40,000.00		
							177698	07.11.11	6,800.00		
							177664	21.12.11	80,000.00	2,94,965.00	
					13	गुसरू गुरारू	177607	06.05.10	23,088.00		
							177617	17.05.10	67,932.00		
							177623	31.05.10	48,000.00		
							177687	22.10.11	23,400.00		
							177692	22.10.11	80,000.00	2,42,420.00	
					14	वजीरगंज	177638	03.01.11	30,000.00		
							177688	22.1011	46,800.00		
							177610	13.05.10	25,944.00		
							177611	13.05.10	1,30,672.00	2,33416.00	

					15	फतेहपुर	177612	13.05.10	2,18,940.00		
							177629	07.06.10	51,700.00		
							177634	21.07.10	31,464.00		
							177644	04.02.11	1,02,000.00		
							177660	22.02.11	20,800.00		
							177671	03.09.11	11,700.00	4,36,604.00	
					16	बाराचट्टी	177613	13.05.10	19,458.00		
							177614	15.05.10	2,25,030.00		
							177622	26.05.10	6,900.00		
							177651	04.02.11	80,000.00	3,31,388.00	
					17	टेकारी	177615	17.05.10	26,910.00		
							177625	02.06.10	1,78,320.00		
							177647	04.02.11	1,22,800.00		
							177675	05.09.11	46,800.00	3,74,830.00	
					18	बाँकेबाजार	177618	17.05.10	1,73,470.00		
							177630	19.06.10	5,000.00		
							177632	25.06.10	15,000.00		

							177635	21.07.10	20,000.00		
							177700	21.11.11	26,500.00		
							177701	03.12.12	10,000.00	2,49,970.00	
					19	गुरूआ	177619	18.05.10	2,06,640.00		
							177621	22.05.10	51,000.00		
							177649	04.02.11	33,600.00		
							177650	04.02.11	28,400.00	3,19,640.00	
					20	शेरघाटी	177620	21.05.10	68,226.00		
							177627	04.06.10	84,864.00		
							177628	07.06.10	18,354.00		
							177683	22.10.11	46,800.00	2,18,244.00	
					21	ईमामगंज	177631	22.06.10	1,50,000.00		
							177654	05.02.11	20,800.00		
							177662	21.02.11	1,56,000.00		
							177681	22.10.11	19,500.00		
							177699	08.11.11	81,500.00	4,27,800.00	
					22	खिजर	177670	29.03.11	1,55,000.00	1,55,000.00	

						सराय					
					23	मानपुर	177633	09.07.10	1,21,440.00		
							177645	04.02.11	59,000.00		
							177653	05.02.11	33,600.00		
							177669	29.03.11	21,500.00		
							177697	07.11.11	21,500.00	2,57,040.00	
					24	नगर	177659	19.02.11	1,22,800.00		
							177660	19.02.11	26,130.00		
							177676	05.09.11	10,500.00	1,59,430.00	
									कुल योग–	**70,13,407.00**	

परिशिष्ट 'घ'

कंडिका– 07 से सम्बंधित

(i) क्रय/आपूर्ति सामग्री का विवरण :–

क्र0 सं0	सामग्री	मात्रा	दर	भुगतित राशि	भुगतित कुल राशि
1	पूसा भगवती 30X497 बैग	14,910 किलो	28.00 प्रति किलो	4,17,480.00	
2	पूसा 834 30 वि0X568.5 बैग	17,055 किलो	28.00 प्रति किलो	4,77,540.00	
3	पूसा सुभाषिणी 30 किलोX272 बैग	8,160 किलो	35.00 प्रति किलो	2,85,600.00	11,80,620.00
				योग–	**11,80,620.00**

(ii) वितरित सामग्री का विवरण :–

क्र0 सं0	प्रखंड कृषि कार्यालय का नाम	पूसा भगवती (किलो में)	पूसा 834 (किलो में)	पूसा सुभाषिणी (किलो में)	कुल मात्रा (किलो में)	सामग्री का मूल्य (रू0)	50% राशि विक्रय से प्राप्त (रू0)	प्राप्त राशि वसूली योग्य (रू0)
1	आमस	900	1500	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
2	बांके बाजार	—	2400	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
3	बधानी	480	1020	900	2400	73,500	36,750.00	36,750.00

4	बाराचट्टी	2400	—	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
5	बेलागंज	900	600	900	2400	73,500.00	36,750.00	36,750.00
6	बोधगया	2400	—	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
7	चन्दौती	630	435	660	1695	52,920.00	26,460.00	26,460.00
8	डोभी	2400	—	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
9	फतेहपुर	—	2400		2400	67,200.00	23,600.00	33,600.00
10	गुरूआ	2400	—	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
11	खिजर सराय	—	900	1500	2400	77,700.00	38,850.00	38,850.00
12	मानपुर	—	2400	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
13	मोहनपुर	2400	—	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
14	मोहड़ा	—	600	1800	2400	79,800.00	39,900.00	39.900.00
15	शेरघाटी	—	—	2400	2400	84,000.00	42,000.00	42,000.00
16	टनटुप्पा	—	—	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
17	वजीरगंज	—	2400	—	2400	67,200.00	33,600.00	33,600.00
							कुल योग–	**5,90,310.00**

परिशिष्ट 'ङ'

कंडिका– 12 से सम्बंधित

कुल रू0 16,270.00 की विवरणी :–

मेला तिथि	आपूर्तिकर्त्ता का विवरण	सामग्री	राशि	कुल राशि	उपा सं0	अभियुक्ति
12.07.11	मे0 कृष्णा राधिका स्वट्सि एण्ड स्नैब्स, चाँद पौरा गया।	नास्ता 50 पै0 मिनरल वाटर 50 पी0	2,200.00 750.00	2,950.00	61	
13.07.11	मे0 कृष्णा राधिका स्वट्सि एण्ड स्नैब्स, चाँद पौरा गया।	नास्ता 50 पै0 मिनरल वाटर 50 पी0	2,200.00 750.00	2,950.00	60	
11.08.11	मे0 जी0 स्वीट्स टेकारी रोड, गया।	नास्ता 40 पै0 मिनरल वाटर 40 पी0	1,840.00 600.00	2,440.00	03	
12.08.11	मे0 जी0 स्वीट्स टेकारी रोड, गया।	नास्ता 40 पै0 मिनरल वाटर 40 पी0	1,840.00 600.00	2,440.00	04	
10.08.11	मे0 जी0 स्वीट्स	नास्ता 51 पै0	2,300.00			

	टेकारी रोड, गया।	मिनरल वाटर 50 पी0	750.00	3,050.00	30	
13.08.11	मे0 जी0 स्वीट्स टेकारी रोड, गया।	नास्ता 40 पै0 मिनरल वाटर 40 पी0	1,840.00 600.00	2,440.00		
			कुल योग–	**16,270.00**		

परिशिष्ट 'च'

कंडिका– 14 से सम्बंधित

विक्रय कर के रूप में भुगतान राशि रू0 4,990.00 वसूली योग्य :–

क्र0 सं0	क्रय तिथि	रसीद सं0	आपूर्तिकर्त्ता	सामग्री	मात्रा	दर	राशि	कुल राशि	कर राशि	वसूली योग्य राशि	अभियुक्ति
1	24.01.12	20	मे0 आशीश ईंट उधोग, डोभी, गया	ईंट	4000 पी0	3,500.00	14,000.00	14,000.00	700.00	700.00	
2	24.01.12	21	मे0 आशीश ईंट उधोग, डोभी, गया	ईंट	4000 पी0	3,500.00	14,000.00	14,000.00	700.00	700.00	
3	24.01.12	37	प्रसाद ट्रेडर्स शोभ, गया	सिमेन्ट	80 बोरा	300.00	24,000.00	24,000.00	3,240.00	3,240.00	
4	24.01.12	66	गौतम स्टोन वर्क्स डोभी, गया	चिप्स	2 टेलर	3,500.00	7,000.00	7,000.00	350.00	350.00	
									योग–	**4,990.00**	

परिशिष्ट 'छ'

कंडिका– 16 से सम्बंधित

मद	व्यय तिथि	व्यय विवरण	राशि	अभियुक्ति
आइसोपोम योजना	30.09.11 31.03.12	बीज पहुंचाने का भाड़ा अनु0 कृषि पदा0 को	14,975.00 1,99,000.00	चेक सं0, विपत्र सं0, उपा0 सं0 रोकड़ पुस्त में अंकित नहीं था।
जैविक खेती	शून्य			
बीज ग्राम योजना	13.05.10	श्री विरेन्द्र शंकर सिंह	15,000.00	
	17.05.10	बिहार राज्य बीज निगम	10,00,000.00	
	03.06.10	बिहार राज्य बीज निगम	7,00,000.00	
	13.06.10	बिहार राज्य बीज निगम	4,00,000.00	
	30.06.10	विजय रजक सघ0 ह0 पदा0	24,200.00	
	07.07.10	कृषि प्रशिक्षण हेतु व्यय	15,000.00	
	10.08.10	कृषि प्रशिक्षण हेतु व्यय	15,000.00	
	18.08.10	बिहार राज्य बीज निगम	5,00,000.00	
	05.02.11	बिहार राज्य बीज निगम	8,61,119.00	
स्थापना 2401	15.04.10	दूरभाष व्यय	6,000.00	

	15.04.10	वाहन व्यय	54,130.00	
	15.04.10	जीप गाड़ी पर व्यय	1,751.00	
	15.04.10	कार्यालय व्यय	23,596.00	
	15.04.10	कार्यालय व्यय	464.00	
मिट्टी जाँच, उर्वरक प्रयोगशाला स्थापना एवं उन्नयन	20.04.10	उपकरण क्रय	1,89,203.00	
	24.05.10	प्रशिक्षण कार्य में भुगतान	44,289.00	
	02.07.10	मिट्टी नमूना संग्रह	750.00	
	21.03.12	केमिकल एवं उपकरण	1,39,686.00	
राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन	11.08.10	सिंह लाईट एवं क्राकरी, गया	18,330.00	
	21.08.10	मंगलम साईसेन	23,625.00	
	02.07.11	सिन्हा विडियोग्राफी	8,750.00	
	02.07.11	गाड़ी भाड़ा	7,140.00	
	23.08.11	सोनू ट्रेडर्स जिप्सम आपूर्ति	19,450.00	
	28.09.11	मे0 सत्यप्रकाश इन्टरप्राइजेज सूक्षम तत्व आपूर्ति	2,29,176.00	
	12.11.11	मे0 सत्यप्रकाश इन्टरप्राइजेज सूक्षम	57,294.00	

		तत्व आपूर्ति		
	12.11.11	मे0 सत्यप्रकाश इन्टरप्राइजेज सूक्षम तत्व आपूर्ति	1,19,113.00	
	07.12.11	कार्यालय व्यय	50,611.00	
	28.12.11	मे0 लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज सूक्षम तत्व आपूर्ति	2,59,934.00	
	03.01.12	मे0 किसान घर टेकारी रोड सूक्षम तत्व आपूर्ति	8,13,405.00	
	17.01.13	वाहन भाड़ा	31,930.00	
	03.02.12	कृषि सेवा केन्द्र, गया, स0 पो0	1,13,011.00	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	16.06.10	कृषि प्रशिक्षण पर व्यय	1,50,000.00	
	04.12.11	हिन्दुस्तान बीज भंडार, बोरोन एवं अन्य पर व्यय	2,98,620.00	
	23.02.12	मे0 सिन्हा लाईट एंड क्राकरी, गया	50,000.00	
	31.03.11	भ्रमण (श्री रामाधार चौधरी)	2,40,000.00	
	04.04.11	मे0 सिन्हा लाईट एण्ड क्राकरी, गया	15,000.00	
	04.04.11	मे0 शितिज एग्रो सेन्टर प्रशिक्षण	3,00,000.00	

	17.05.11	सुधीर प्रसाद सिंह को भुगतान	50,000.00	
	17.05.11	नेशनल बीज कारपोरेशन	9,54,000.00	
	17.05.11	नन्द किशोर प्र0 सिंह, लिपिक का अभिश्रव	90,000.00	
	17.05.11	श्री घनश्याम शर्मा लिपिक का अभिश्रव	1,60,000.00	
	17.05.11	मे0 किसान घर, गया, उर्वरक आपूर्ति	21,66,775.00	
	21.06.11	मे0 सोनू टेडर्स, गया	57,688.00	
	22.06.11	मे0 मगध कृषक सेवा, स्वा0 स0 स0, गया		
	01.07.11	मे0 क्षितिज एग्रो0 प्रा0 लि0 प्रशिक्षण हेतु	2,97,600.00	
	01.07.11	मे0 कृषि सेवा केन्द्र शेरघाटी उर्वरक आपूर्ति	5,85,690.00	
	05.07.11	मे0 अरविन्द इन्टरप्राइजेज, गया पाईप आपूर्ति	3,46,625.00	
	05.07.11	मे0 मां0 मंगला ट्रेडर्स खाद आपूर्ति	6,51,960.00	
	07.07..11	मे0 समांगी इन्टरनेशनल गया,	90,000.00	

	07.07.11	मे0 श्यामा स्टोर्स, गया	2,94,782.00	
	16.07.11	मे0 लक्ष्मी स्टोर्स, खाद आपूर्ति	7,83,280.00	
	16.07.11	मे0 सोनू ट्रेडर्स, गया	3,12,590.00	
	27.07.11	मे0 लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज, गया खाद आपूर्ति	4,29,000.00	
	09.09.11	मे0 अरिहन्त इन्टरप्राइजेज, खाद आपूर्ति	52,21,996.00	
	13.09.11	मे0 भवानी इन्टरप्राइजेज, गया आपूर्ति	3,49,134.00	
	20.09.11	मे0 मगध बीज भंडार, पाईप आपूर्ति	6,97,124.00	
	20.09.11	मे0 मशीनरी, गया	10,32,800.00	
	30.09.11	मे0 सिंह लाईट एण्ड क्राकरी, गया	81,308.00	
	11.11.11	मे0 नजरूल हसनैन, गुरूआ	5,00,000.00	
	09.11.11	मे0 अभिषेक इन्टरप्राइजेज, गया	40,000.00	
	09.11.11	मे0 अभिषेक इन्टरप्राइजेज, गया	4,80,000.00	
	09.11.11	मे0 अभिषेक इन्टरप्राइजेज, गया	5,00,000.00	
	09.11.11	मे0 अभिषेक इन्टरप्राइजेज, गया	1,40,000.00	
	31.10.11	मे0 अरविन्द इन्टरप्राइजेज	13,80,000.00	

परिशिष्ट 'ञ'

कंडिका– 18 से सम्बंधित

क्र0 सं0	योजना का नाम	चेक सं0 एवं तिथि	भु0 तिथि	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	आपूरित सामग्री	लाभान्वितो का नाम	राशि	अभियुक्ति
1	आइसोपोम योजना	073167 / 24.02.12	24.02.12	मे0 न्यू मगध बीज भंडार गया, विरानी घाट, गया	सिंचाई पाईप (अनुदान 50%)	श्री नन्दलाल कुमार एवं अन्य 1265 व्यक्ति	7,74,202.00	
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	632884 / 20.09.11	20.09.11	मे0 भारत डीमल्स स्वराजपुरी रोड, गया	सिंचाई पाईप (अनुदान 50%)	श्री रामचन्द्र यादव एवं अन्य 752 व्यक्ति	5,36,607.00	
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	851683 / 03.12.11	03.12.11	मे0 दुर्गा इंजिनियरिंग वर्क्स, नूरसराय, नालन्दा	कोनोवीडर (अनुदान 50%)	श्री मनोहर यादव एवं अन्य 482 व्यक्ति	3,85,600.00	
	राष्ट्रीय कृषि विकास	641702 /	24.02.12	मे0 भारतीय	नेपसेक	श्री जगदीश	50,800.00	

	योजना	24.02.12		उर्वरक केन्द्र पूर्वी दीघा टैंक, गया	(अनुदान 50%)	चन्द्र वर्मा एवं अन्य 52 व्यक्ति		
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	225644 / 31.03.12	31.03.12	मे0 बाला जी इन्टरप्राईजेज दिग्घी तलाब, गया	नेपसेक गटोर (अनुदान 50%)	श्री प्रदीप कुमार एवं अन्य 132 व्यक्ति	81,875.00	
3	जैविक खेती प्रोत्साहन योजना	301646 / 13.09.11	13.09.11	मे0 शुमांगी इन्टरप्राइजेज गया–नवादा रोड, मानपुर, गया	वर्म 1176 किलाग्राम @ 250 / –	कुल 294 किसान प्रति किसान रू0 1000 / – वर्म 4 किलो	2,94,000.00	
	जैविक खेती प्रोत्साहन योजना	024510 / 26.03.11	26.03.11	मे0 शुमांगी इन्टरप्राइजेज गया–नवादा रोड, मानपुर, गया	वर्मी बेड–39 पीस रसीद सं0–1251 से 1288 तक एवं 1828	श्री बिहारी यादव बराचट्टी प्रंखड–3500 / – श्री रामचन्द	1,36,500.00	

						साह– 3500/– श्री छेदी यादव साह 3500/– श्री मोहन यादव साह 3500/– श्री बीरेन्द्र यादव साह 3500/–		
						श्री उपेन्द्र कुमार यादव साह–3500/–		
						श्री रेवती यादव साह–3500/–		
						श्री मनोज तांजी साह–3500/–		
						श्री रामजतन प्रसाद साह–3500/–		

	24.10.11	मे0 विव कम्पनी	16,73,600.00	
	24.10.11	मे0 शर्मा इंजिनियरिंग, गया	7,30,000.00	
	17.01.11	मे0 किसान घर, गया उर्वरक आपूर्ति	6,76,612.00	
		चेक सं0–232708 / 17.01.11	6,76,612.00	
समेकित सिरियल विकास योजना	शून्य (31.03.11)	मे0 अजय सिंह फार्म, विलन्दपुर, गया गेहूँ बीज पत्यक्षण	4,70,000.00	
	शून्य (31.03.11)	मे0 अरिहन्त इन्टरनेशनल, पटना चेक सं0–24499 दि0 14.03.11	4,34,750.00	
		कुल योग–	2,88,95,766.00	

						श्री सुखनन्दन रविदास साह–3500 / –		
						श्री नारायण यादव साह–3500 / –		
						श्री जगदेव यादव साह–3500 / –		
						श्रीमती सबुजा देवी साह–3500 / –		
						श्री उमेश प्रसाद साह–3500 / –		
						श्री महेन्द्र यादव साह–3500 / –		
						श्रीमती संगीता		

						देवी साह–3500 / –		
						श्री कपिल साह–3500 / –		
						श्री केशर यादव साह–3500 / –		
						श्री तालकेश्वर पासवान साह–3500 / –		
						श्री महेश कुमार साह–3500 / –		
						श्रीमती देवरिया देवी साह–3500 / –		
						श्री घनश्याम प्रसाद साह–3500 / –		

						श्री दुलास यादव साह–3500/–		
						श्री कमलेश यादव साह–3500/–		
						श्री महावीर प्रसाद साह–3500/–		
						श्रीमती देवन्ती देवी साह–3500/–		
						श्री हरेन्द्र प्र0 महतो साह–3500/–		
						श्री पवन कुमार साह–3500/–		

						मे0 आफताब हसन साह–3500 / –		
						श्री महेनद्र कुमार साह–3500 / –		
						श्री बाल्मीकी सिंह साह–3500 / –		
						श्री राजकुमार यादव साह–3500 / –		
						श्री अमित कुमार सिंह साह–3500 / –		
						श्री रामेश्वर प्रसाद		

						साह–3500 / –		
						श्रीमती धमनी देवी साह–3500 / –		
						श्री जोधन यादव साह–3500 / –		
						श्री देवकी यादव साह–3500 / –		
						श्री शिवनारायण यादव साह–3500 / –		
						श्री श्यामनन्दन कुमार साह–3500 / –		
	जैविक खेती प्रोत्साहन योजना	301664 / 25.11.11	25.111.11	मे0 शुभोगी इन्टरप्राइजेज मानपुर, गया	वर्मी बेड (अनुदान 50%)	श्री कैलाश प्रसाद एवं अन्य 223 व्यक्ति	11,61,000.00	

4	राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन	641791 / 19.03.12	19.03.12	मे0 सत्यप्रकाश इन्टरप्राइजेज श्रवण कुमार, गया	सूक्षम पोसक तत्व (अनुदान 80%)	–	03,59,064.00	
		463967 / 20.05.10	20.05.10	मे0 गौरव इन्टरप्राइजेज किरानी, घाट, गया	धान बीज	–	7,500.00	
		464071 / 15.01.11	15.01.11	मे0 सोनु ट्रेडर्स, मौरया घाट, गया	सुक्षम तत्व जिंक (अनुदान 80%)	–	3,82,540.00	
		464063 / 15.01.11	15.01.11	मे0 सोनु ट्रेडर्स, मौरया घाट, गया	पौधा संरक्षण रसायण (अनुदान 80%)	–	44,466.00	
		149506 / 03.02.11	03.02.11	मे0 सावेली इन्टरप्राइजेज,	सूक्ष्म तत्व जिंक (अनुदान	–	97,902.00	

				लक्ष्मी मार्केट, गया,	80%)			
		149510 / 03.02.11	03.02.11	मे0 सावेली इन्टरप्राइजेज, लक्ष्मी मार्केट, गया,	वोरोन (अनुदान 80%)	—	1,78,974.00	
		149508 / 03.02.11	03.02.11	मे0 हरियाली कृषि केन्द्र मानपुर, टेउसा, रोड, गया	जिंक (अनुदान 80%)	—	85,698.00	
		149501 / 31.01.11	31.01.11	मे0 उग्रह सिंह, किरानी घाट, गया	जिंक (अनुदान 80%)	—	6,53,886.00	
		149502 / 31.01.11	31.01.11	मे0 उग्रह सिंह किरानी घाट, गया	जिंक (अनुदान 80%)	—	8,38,548.00	
		137306 /	28.09.11	मे0 सत्य	जिंक (30%)	—	2,29,176.00	

		28.09.11		प्रकाश इन्टरप्राईजेज श्रवण बाकार, गया (शेरघाटी)	(अनुदान 80%)			
						कुल राशि–	62,98,338.00	

परिशिष्ट 'झ'

कंडिका– 19 से सम्बंधित

क्र0 सं0	योजना का नाम	फर्म का नाम	चेक सं0 एवं भु0 तिथि	क्रय तिथि	सामग्री का नाम एवं मात्रा	भुगतान राशि	कुल राशि	अभियुक्ति
1	आईसोपोम	मे0 अजय सीड फार्म बिलन्दपुर, गया	004701 / 22.06.10	शून्य	मक्का बीज 4000 कि0 ग्रा0 120 / – प्रति किलो	4,80,000.00	4,80,000.00	
2	राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम	मे0 सोनु ट्रेडर्स मोरया घाट, गया	632175 / 31.05.11 रू0 6,00,000.00	26.05.11 26.05.11	पारस 10:26:26/ 220 बैग पारस 10:26:26/ 200 बैग	1,26,922.40 1,15,384.00		
			633282 /	26.05.11	पारस	1,73,076.00		

			21.06.11 रू0 57,688.00		10:26:26/ 300 बैग			
				26.05.11	पारस 10:26:26/ 200 बैग	1,15,384.00		
				26.05.11	पारस 10:26:26/ 220 बैग	1,26,922.40	6,57,688.00	
	राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम	मे0 सोनु ट्रेडर्स मोरया घाट, गया	632198 / 16.07.11	03.06.11	पारस एन0 पी0 के0 नीम यूरिया	178 बैग	1,02,691.76	
				03.06.11	तदैव	150 बैग	44,344.50	
				06.06.11	तदैव	210 बैग	62,082.50	
				06.06.11	तदैव	150 बैग	44,344.50	

				24.05.11	किसान यूरिया	200 बैग	59,126.94	3,12,590.20
3	जैविक खेती प्रोत्साहन योजना	मे0 शुभांगी इन्टरप्राइजेज गया–नवादा रोड, मानपुर, गया	024496/ 09.03.11	09.03.11	वर्मी बेड 349 पीस	349 पीस	12,21,500. 00	12,21,500. 00
4	राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम	मे0 लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज मऊ, टेकारी, गया	632212/ 21.07.11	04.06.11	एन0 पी0 एल नीम यूरिया 15 मिट्री टन @ 290/–		87,000.00	
			632212/ 21.07.11	04.06.11	टी0 सी0 एल एन0 पी0 के0 10:26:26	1,71,000.00		

					15 पिट्रिड टन @ 570/–			
			632212/ 21.07.11	04.06.11	टी0 सी0 एल एन0 पी0 के0 10:26:26 15 पिट्रिड टन @ 570/–	1,71,000.00	4,29,000.00	
						कुल राशि–	31,00,778.20	

परिशिष्ट 'ञ'

कंडिका– 22 से सम्बंधित

क्र0 सं0	क्रय तिथि	कृषक का नाम	रसीद सं0	मात्रा	मशीन का मूल्य	50% अनुदान राशि
1	12.07.11	श्री अमरेन्द्र कुमार	1577	1	6,000.00	3,000.00
2	12.07.11	श्री गणेशी यादव	1578	1	6,000.00	3,000.00
3	12.07.11	श्री जितेन्द्र यादव	1579	1	6,000.00	3,000.00
4	12.07.11	श्री विनय सिंह	1580	1	5,800.00	2,900.00
5	12.07.11	श्री राजेन्द्र सिंह	1581	1	6,000.00	3,000.00
6	12.07.11	श्री रामजतन प्रसाद	1582	1	6,000.00	3,000.00
7	12.07.11	श्री शिवदयाल कुमार	1583	1	6,000.00	3,000.00
8	12.07.11	श्री पंकज कुमार	1584	1	5,800.00	2,900.00
9	12.07.11	श्री शान्ति देवी	1585	1	5,800.00	2,900.00
10	12.07.11	श्री दिनेश प्रजापत	1586	1	5,800.00	2,900.00
11	12.07.11	श्री सुबोध कुमार	1587	1	5,800.00	2,900.00
12	12.07.11	श्री कपिल देव यादव	1588	1	5,800.00	2,900.00
13	12.07.11	श्री पप्पू रंजन यादव	1589	1	5,200.00	2,600.00

14	12.07.11	श्री कृष्णदेव यादव	1590	1	5,800.00	2,900.00
15	12.07.11	श्री संजीत कुमार	1591	1	5,800.00	2,900.00
16	12.07.11	श्री नथुन यादव	1592	1	5,800.00	2,900.00
17	12.07.11	श्री सरयू प्रसाद यादव	1594	1	5,200.00	2,600.00
18	12.07.11	श्री चदुनन्दन यादव	1595	1	5,800.00	2,900.00
19	12.07.11	श्री मोती यादव	1596	1	5,200.00	2,600.00
20	12.07.11	श्री रामप्रवेश प्रसाद	1597	1	5,800.00	2,900.00
21	12.07.11	श्री टुनटुन पल्लाद	1598	1	5,800.00	2,600.00
22	12.07.11	श्री रामेन्द्र चौधरी	1599	1	5,800.00	2,600.00
23	12.07.11	श्री बंधन यादव	1600	1	5,800.00	2,600.00
24	12.07.11	श्री रामप्रसाद यादव	1602	1	5,800.00	2,900.00
25	12.07.11	श्री गोविन्द प्रजापति	1603	1	5,200.00	2,600.00
26	12.07.11	श्री कुलेश्वर यादव	1604	1	5,200.00	2,600.00
27	12.07.11	श्री जगेश्वर यादव	1605	1	5,200.00	2,600.00
28	12.07.11	श्री उमेश यादव	1606	1	5,800.00	2,900.00
29	12.07.11	श्री सोहन प्रसाद	1607	1	5,200.00	2,600.00
30	12.07.11	श्री रामवृक्ष प्रसाद	1608	1	5,200.00	2,600.00

31	12.07.11	श्री मुकेश कुमार	1609	1	5,800.00	2,900.00
32	12.07.11	श्री चन्द्रशेखर यादव	1610	1	5,800.00	2,900.00
33	12.07.11	श्री प्रभुदयाल साव	1611	1	5,800.00	2,900.00
34	12.07.11	श्री सत्यु यादव	1612	1	5,800.00	2,900.00
35	13.07.11	श्री राघो यादव	1613	1	5,800.00	2,900.00
36	13.07.11	श्री वासुदेव दास	1614	1	5,800.00	2,900.00
37	13.07.11	श्रीमती अनीता कुमारी	1615	1	5,800.00	2,900.00
38	13.07.11	श्री अशोक कुमार सिंह	1616	1	5,800.00	2,900.00
39	13.07.11	श्री रामचन्द्र चौधरी	1617	1	5,200.00	2,600.00
40	13.07.11	श्री मदन प्रसाद	1618	1	5,800.00	2,900.00
41	13.07.11	श्री संजय प्रसाद	1619	1	5,800.00	2,900.00
42	13.07.11	श्री गिरजा दास	1620	1	5,200.00	2,600.00
43	13.07.11	श्री ब्रजेश कुमार	1621	1	5,800.00	2,900.00
44	13.07.11	श्री नरेश यादव	1622	1	5,800.00	2,900.00
45	13.07.11	श्री मुन्द्रिका यादव	1623	1	5,800.00	2,900.00
46	13.07.11	श्री धनंजय कुमार	1624	1	5,800.00	2,900.00
47	13.07.11	श्री सुनील कुमार मंडल	1625	1	5,800.00	2,900.00

48	13.07.11	श्री सहदेव यादव	1626	1	5,200.00	2,600.00
49	13.07.11	श्री सीताराम यादव	1627	1	5,800.00	2,900.00
50	13.07.11	श्री रामकपिल यादव	1629	1	5,200.00	2,600.00
51	13.07.11	श्री मुन्ना रजक	1630	1	5,200.00	2,600.00
52	13.07.11	श्री पीचन्द्र प्रसाद	1631	1	5,800.00	2,900.00
53	13.07.11	श्री संतोष कुमार	1632	1	5,200.00	2,600.00
					कुल योग–	**1,48,900.00**

परिशिष्ट 'ट'

कुंडिका– 23 से सम्बंधित

क्र0 सं0	क्रय तिथि	रसीद सं0	लाभावन्तिो का नाम	ग्राम	प्रखंड	राशि
1	11.03.11	1507	श्री दिनेश प्रसाद	गुरवा	फतेहपुर	1,000.00
2	11.03.11	1508	श्री वासुदेव सिंह	अखडिहा	फतेहपुर	1,000.00
3	11.03.11	1509	श्रीमती मंजु देवी / रामवृक्ष रविदास	कढौजिया	फतेहपुर	1,000.00
4	11.03.11	1510	श्रीमती कमला देवी / बालदेव रविदास	कढौतिया	फतेहपुर	1,000.00
5	11.03.11	1511	श्रीमती मंजु कुमारी / रामप्यारे दास	कपासिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
6	11.03.11	1512	श्री दिलिप कुमार पुष्प	शून्य	फतेहपुर	1,000.00
7	11.03.11	1514	श्री युगल किशोर प्रसाद	खेदपुर	फतेहपुर	1,000.00
8	शून्य	2301	श्री सुदामा सिंह	शून्य	फतेहपुर	1,000.00
9	11.03.11	2302	श्री बबलु कुमार	फतेहपुर	फतेहपुर	1,000.00
10	11.03.11	2303	श्री सर्जुन सिंह	फतेहपुर	फतेहपुर	1,000.00
11	11.03.11	2304	श्री अरूण कुमार पाण्डेय	फतेहपुर	फतेहपुर	1,000.00
12	11.03.11	2305	श्री विवेक कुमार	फतेहपुर	फतेहपुर	1,000.00

13	11.03.11	2306	श्री रोहित नारायण सिंह	फतेहपुर	फतेहपुर	1,000.00
14	11.03.11	2307	श्री विनोद रविदास	चमरूचक	फतेहपुर	1,000.00
15	11.03.11	2308	श्री बब्लु चन्द्र चौधरी	डुमरी चट्टी	फतेहपुर	1,000.00
16	11.03.11	2309	श्री सत्येन्द्र प्रसाद	खुटकट	फतेहपुर	1,000.00
17	11.03.11	2310	श्री बाबू लाल चौधरी	डुमरी चट्टी	फतेहपुर	1,000.00
18	11.03.11	2311	श्री सत्येन्द्र प्रसाद	खुटकट	फतेहपुर	1,000.00
19	11.03.11	2312	श्री संजय यादव	खुटकट	फतेहपुर	1,000.00
20	11.03.11	2313	श्री सत्येन्द्र यादव	खुटकट	फतेहपुर	1,000.00
21	11.03.11	2314	श्री युगल किशोर प्रसाद	खेवरपुरा	फतेहपुर	1,000.00
22	11.03.11	2315	श्री कपिलदेव पाण्डेय	डुमरी	फतेहपुर	1,000.00
23	11.03.11	2316	श्री जनार्दन प्रसाद सिंह	एकम्बा	फतेहपुर	1,000.00
24	11.03.11	2317	श्री राम स्वरूप सिंह	कुधौल	फतेहपुर	1,000.00
25	11.03.11	2318	श्रीमती गिरू देवी/सीताराम सिंह	कुधौल	फतेहपुर	1,000.00
26	11.03.11	2319	श्री पिंटु सिंह	एकम्बा	फतेहपुर	1,000.00
27	11.03.11	2320	श्री शंभु कुमार	पवरी	फतेहपुर	1,000.00
28	11.03.11	2321	श्री रामदेव यादव	नौडीह	फतेहपुर	1,000.00
29	11.03.11	2322	श्री सुरेश यादव	मेथारी	फतेहपुर	1,000.00

30	11.03.11	2323	श्री बालचन्द्र प्रसाद	नौडीह	फतेहपुर	1,000.00
31	11.03.11	2324	श्री दिलिप प्रसाद	नौडीह	फतेहपुर	1,000.00
32	11.03.11	2325	श्री राम स्वरूप प्रसाद	नौडीह	फतेहपुर	1,000.00
33	11.03.11	2326	श्री चान्दो प्रसाद	नौडीह	फतेहपुर	1,000.00
34	11.03.11	2327	श्री आदित्य शर्मा	नौडीह	फतेहपुर	1,000.00
35	11.03.11	2328	श्री किशोरी प्रसाद मण्डल	नौडीह	फतेहपुर	1,000.00
36	11.03.11	2330	श्री शंकर प्रसाद	खजूरी	फतेहपुर	1,000.00
37	11.03.11	2329	रामस्वरूप यादव	मेथारी	फतेहपुर	1,000.00
38	11.03.11	2331	श्री गजाधर शर्मा	नौडीह	फतेहपुर	1,000.00
39	11.03.11	2332	श्री अशोक शर्मा	नौडीह	फतेहपुर	1,000.00
40	11.03.11	2333	श्रीमती शकुन्तला देवी	पहाड़पुर	फतेहपुर	1,000.00
41	11.03.11	2334	श्री जाकिर हुसैन	पिपरा	फतेहपुर	1,000.00
42	11.03.11	2335	श्री अबास मियां	पिपरा	फतेहपुर	1,000.00
43	11.03.11	2336	श्री रामदेव यादव	बगाही	फतेहपुर	1,000.00
44	11.03.11	2337	श्रीमती दुनिया देवी	तेलबी	फतेहपुर	1,000.00
45	11.03.11	2338	श्री अर्जुन तुरिया	तेलनी	फतेहपुर	1,000.00
46	11.03.11	2339	श्री सुखदेव मांझी	बापूग्राम	फतेहपुर	1,000.00

47	11.03.11	2340	श्री रामोतार दास	बापूग्राम	फतेहपुर	1,000.00
48	11.03.11	2341	श्री सरयू मांझी	मोखे	फतेहपुर	1,000.00
49	11.03.11	2342	श्री सिकन्दर दास	कढौतिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
50	11.03.11	2343	श्री विजय दास	कढौतिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
51	11.03.11	2344	श्रीमती कमला देवी	कढौतिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
52	11.03.11	2345	श्री हरिनन्दन यादव	कढौतिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
53	11.03.11	2346	श्री जय विकास	कढौतिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
54	11.03.11	2347	श्री रामचन्द्र प्रसाद यादव	कढौतिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
55	11.03.11	2348	श्री सुरेन्द्र यादव	कढौतिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
56	11.03.11	2349	श्री बैजु यादव	कढौतिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
57	11.03.11	2350	श्री देवकी यादव	कढौतिया केवाल	फतेहपुर	1,000.00
					कुल राशि–	57,000.00

परिशिष्ट 'ठ'

कंडिका– 25 से सम्बंधित

रोकड़ पुस्त में अंकित अग्रिम राशि 2,00,54,172.00 समायोजन के सम्बंध में।

क्र0 सं0	तिथि	मद	अग्रिम विवरण	राशि
1	01.04.10	राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम	श्री विजय रजक स0 ह0 पदा0 चेक सं0–230108 दिनांक 01.04.10	1,50,000.00
2	16.06.10		श्री रामाधार चौधरी, चेक सं0–230139 / 16.06.10	1,50,000.00
3	16.07.10		श्री विजय रजक, चेक सं0–232557 /16.07.10	1,50,000.00
4	23.08.10		श्री रामाधार चौधरी, चेक सं0–232622 / 23.08.10	1,50,000.00
5	22.08.10		श्री विजय रजक, चेक सं0–232623 / 22.08.10	1,50,000.00
6	23.08.10		श्री सुधीर प्र0 नाजिर, चेक सं0–232633 / 23.08.10	50,000.00
7	15.09.10		मे0 कृषि सेवा केन्द्र बिहारशरीफ, चेक सं0–232667 / 15.09.10	9,98,400.00
8	16.09.10		श्री विजय रजक, चेक सं0–232671 / 16.09.10	50,000.00
	05.01.11		श्री विजय रजक, चेक सं0–232688 / 05.01.11	20,000.00
9	16.09.10		मे0 सिन्हा लाईट एण्ड क्राकरी सेन्टर, गया चेक सं0–232672 / 16.09.10	50,000.00

			चेक सं0–232674 / 21.12.10	50,000.00
10	16.09.10		मे0 गणेश कृषि केन्द्र, गया, चेक सं0–232673 / 16.09.10	4,00,000.00
11	21.12.10		श्री घनश्याम शर्मा, लिपिक, चेक सं0–232675 / 21.12.10	25,000.00
12	15.01.11		कनीय पौधा संरक्षण, गया, चेक सं0–232696 / 15.01.11	50,00,000.00
13	31.03.11		कनीय पौधा संरक्षण, गया, चेक सं0–232128 / 31.03.11	46,47,792.00
14	28.01.11		मे0 सिन्हा लाईट एण्ड क्राकरी सेन्टर, गया चेक सं0–232724 / 28.01.11	75,000.00
15	28.01.11		मे0 वजीरगंज खाद भंडार, चेक सं0–232725 / 28.01.11	75,000.00
16	12.07.10		नेशनल सीड, कारपोरेशन, चेक सं0–232555 / 12.07.10	11,68,360.00
17	08.07.10		मे0 दूर्गा इंजिनियरिंग वार्डसौप, नूरसराय, चेक सं0– शून्य	24,000.00
18	31.03.11		श्री सुधीर प्र0 सिंह, नाजिर, चेक सं0–232739 / 31.01.11	30,000.00
19	04.02.11		मे0 हिन्दुस्तान बीज भंडार, चेक सं0–232749 / 04.02.11	2,98,620.00
20	23.02.11		मे0 सिन्हा लाईट एण्ड क्राकरी सेन्टर, गया चेक सं0–632113 / 23.02.11	50,000.00
21	14.04.11		मे0 सिन्हा लाईट एण्ड क्राकरी सेन्टर, गया चेक सं0–632165 / 14.04.11	15,000.00
22	04.04.11		श्री घनश्याम शर्मा, लिपिक, चेक सं0–632166 / 04.04.11	45,000.00

23	04.04.11		मे0 शितिज एग्रो0 प्रा0 लि0, चेक सं0–632167 / 04.04.11	3,00,000.00
24	05.05.11		मे0 गणेश कृषि केन्द्र, गया, चेक सं0–632168 / 05.05.11	4,32,000.00
25	05.05.11		श्री सुधीर कु0 सिंह, नाजिर, चेक सं0–632169 / 05.05.11	80,000.00
26	16.05.11		मे0 हिन्दुस्तान बीज भंडार, गया, चेक सं0–632170 / 16.05.11	5,00,000.00
27	16.05.11		श्री संजीव कुमार, गया, चेक सं0–632171 / 16.05.11	80,000.00
28	17.05.11		श्री नंद किशोर प्र0 सिंह, चेक सं0–967389 / 30.08.09	90,000.00
29	17.05.11		श्री नंद किशोर प्र0 सिंह, चेक सं0–23003 / 17.02.10	75,000.00
30	17.05.11		नेशनल सीड कारपोरेशन, चेक सं0–600812 / 24.11.08	9,54,000.00
31	17.05.11		श्री घनश्याम शर्मा, चेक सं0–477268 / 25.12.09	1,25,000.00
32	17.05.11		श्री रामाधार चौधरी, चेक सं0–230139 / 16.06.10	1,50,000.00
33	11.06.11		मे0 नेशनल सीड, कारपोरेशन, चेक सं0–632177 / 11.06.11	16,00,000.00
34	10.02.11		श्री सदानन्द भगत, रोकड़पाल, चेक सं0–851705 / 10.12.11	20,000.00
35	27.01.12		श्री केदार ठाकुर, जीप चालड चेक सं0–851725 / 27.01.12	20,000.00
36	09.02.12		मो0 मुस्लिम, चेक सं0–224143 / 19.02.12	40,000.00
37	01.06.10		पौधा संरक्षण पदा0, गया, चेक सं0–477123 / 02.11.09	16,66,000.00
38	01.06.10		नारायणी ट्युबवेल कम्पनी गया, चेक सं0–969356 / 15.01.09	1,00,000.00
			कुल राशि–	**2,00,54,172.00**

परिशिष्ट 'ड'

कंडिका– 26 से सम्बंधित

दिनांक– 31.03.12 के संवरण शेष में अंकित मद वार विवरणी :–

क्र0 सं0			
1	स्थापना 2401 कृषि	5,83,002.00	
2	माइक्रोमोड योजना	57,92,747.75	
3	आइसोपाम योजना	53,41,084.90	
4	मिट्टी जाँच उर्वरक प्रयोगशाला स्थापना एवं उन्नयन	59,72,204.00	
5	राष्ट्रीय कृषि विकास केन्द्र	2,08,13,514.00	
6	ई–किसान भवन	1,19,17,000.00	
7	राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन	63,30,772.00	
8	तेलहन विकास कार्यक्रम	6,615.55	
9	विशेष चावल योजना	2,48,828.85	
10	केन्द्रीय बीज ग्राम योजना	67,90,648.00	
11	राज्य प्रोत्साहन योजना	10,80,000.00	
12	जैविक खेती प्रोत्साहन योजना	20,83,179.00	
13	वेयर हाउसिंग	21,220.00	कुल राशि–6,69,80,816.05

परिशिष्ट 'ढ़'

कंडिका– 28 से सम्बंधित

अंकेक्षण अवधि में प्राप्त राशि रू0 18,54,417.00 का विवरणी–

क्र0 सं0	वित्तिय वर्ष	मद का नाम	खाता विवरण	सूद राशि	अभियुक्ति
1	2010–11	मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक प्रयोगशाला स्थापना एवं उन्यन	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, गया खाता सं0–72310100070902	2,42,425.00	
2		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स गया खाता सं0–12642011000164	4,41,893.00	
3		आइसोपोम	एक्सिस बैंक, गया खाता सं0–910010002974298	1,52,346.00	
4	2011–12	जैविक खेती प्रोत्साहन योजना	यूनियन बैंक आफ इंडिया, गया खाता सं0–300402010016611	1,10,363.00	
5		मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक प्रयोगशाला स्थापना एवं उन्नयन	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, गया खाता सं0–72310100070902	84,720.00	
6		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स, गया खाता सं0–12642011000164	2,59,644.00	

7		आइसोपोम	एक्सिस बैंक, गया खाता सं0–910010002974298	1,77,007.00	
8		राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, गया खाता सं0–20008	2,61,858.00	
9		धातु कोढिला	बैंक ऑफ बड़ौदा, गया खाता सं0–12300100013666	1,24,161.00	
			कुल राशि–	**18,54,417.00**	

परिशिष्ट 'ण'

कंडिका– 30 से सम्बंधित

प्रखंड कृषि कार्यालयों द्वारा भंडार प्रविष्टि नहीं की गयी समग्रियों की विवरणी–

क्र0 सं0	प्रखंड कृषि कार्यालय का नाम	समग्री निर्गत तिथि	मुख्य भंडार पंजी पृष्ठ संख्या तथा मद	सामग्री का नाम	मात्रा	अभियुक्ति
1	प्रखंड कृषि कार्यालय, कोच	05.03.11	पृष्ठ–2 उपकरण भंडार पंजी	एजेटोबैक्टर	745 पैकेट	
		04.06.11	श्री विधि बीज भंडार पंजी, पृष्ठ–3	कीट थैला	480 पैकेट	
		27.07.11	श्री विधि बीज भंडार पंजी, पृष्ठ–3	झरना	480 पीस	
		24.06.11	एन0 एस0 एफ0 एम0 भंडार पंजी पृष्ट–05	राजेन्द्र भगवती धान (प्रति 5 किलो)	49 पैकेट	
				KRH2	8 पैकेट	
		27.06.11	BRBN पृष्ठ–6	राजेन्द्र श्वेता (प्रति 15 किलो)	80 पैकेट	
		06.07.11	मक्का ICPL 85063 भंडार पंजी पृष्ठ–08	मक्का बीज (प्रति 5 किलो)	173 पैकेट	

				अरहर बीज	54 पैकेट	
		06.07.11	मक्का ICPL 85063 भंडार पंजी पृष्ठ–08	राई बीज (प्रति 2 किलो)	67 पैकेट	
		20.07.11	मक्का ICPL 85063 भंडार पंजी पृष्ठ–110	ब्लू ग्रीन एल्गी	240 डिब्बा	
		23.07.11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पृष्ठ–111	मक्का प्रत्यक्षण जैव उर्वरक फ्यूराडान जिंक सल्फेट नीम तेल	270 किलो 1080 किलो 1080 किलो 340 किलो 34 किलो	
		23.07.11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पृष्ठ–111	झरना	480 पीस	
		23.07.10	उपादान कीट भंडार पंजी वर्ष 10–11 पृष्ठ–02	मक्का उपादान थैला	109 किलो 11 पीस	
		21.07.10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भंडार पंजी वर्ष–10–11 पृष्ठ–03	अरहर बीज उपादान कीट	40 किलो 05 पीस	
		21.07.10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भंडार	धान संरक्षण उपादान कीट	13 पीस	

			पंजी वर्ष–10–11 पृष्ठ–03			
		19.09.10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भंडार पंजी पृष्ठ–05	उपादान कीट	18 पीस	
		19.09.10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भंडार पंजी पृष्ठ–06	धान का उपादान	18 पीस	
		19.09.10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भंडार पंजी पृष्ठ–07	उपादान	18 पैकेट	
		01.09.10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भंडार पंजी पृष्ठ–08	श्री विधि धान उपादान	4 पैकेट	
		01.09.10	ICBP गेहूँ प्रत्यक्षण भंडार पंजी पृष्ठ–12	जैविक उपादान बायो एन0 पी0 के0 (प्रति पैकेट 10 किलो) जिंक (प्रति पैकेट 10 किलो) पी0 एस0 बी0 (प्रति पैकेट 6 किलो) 4 डी0 (प्रति पैकेट 500	360 पैकेट 360 पैकेट 216 पैकेट 36 पैकेट	

				ग्राम)		
		03.06.11	श्री विधि उपादान भंडार पंजी, पृष्ट–2	उपादान NPK(प्रति पै0 50 किलो) यूरिया (प्रति पै0 50 किलो) कर्मी कम्पोस्ट (प्रति पै0 20 किलो)	 480 पैकेट 240 पैकेट 480 पैकेट	
2	प्रखंड कृषि विकास कार्यालय, टेकारी	03.06.11	बीज भंडार पंजी वर्ष 11–12, पृष्ठ–03	बीज एवं उपादान	600 कीट	
		08.08.11	बीज भंडार पंजी वर्ष 11–12, पृष्ठ–04	झरना	600 पीस	
		19.06.11	राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन भंडार पंजी पृष्ठ–05	राजेन्द्र भगवाती धान (प्रति पै0 3 किलो)	22 पैकेट	
				संकर KRH 2 (प्रति पै0 3 किलो)	22 पैकेट	
		14.06.11	BRBN भंडार पंजी पृष्ठ–06	राजेन्द्र श्वेता (प्रति पै0 15 किलो)	190 पैकेट	
		24.06.11	BRBN भंडार पंजी पृष्ठ–07	तील (1 किलो पैकेट)	1 पैकेट	

		06.07.11	मक्का प्रत्यक्षण भंडार पंजी, पृष्ठ–08	मक्का बीज (प्रति 5 किलो)	221 पैकेट	
		06.07.11	मक्का प्रत्यक्षण भंडार पंजी, पृष्ठ–08	अरहर बीज (प्रति 4 किलो)	54 पैकेट	
		06.07.11	आइसोपोम भंडार पंजी, पृष्ठ–09	मक्का बीज मीनी कीट (2 किलो) बायो फर्टिलाईजर	100 किलो 50 किलो 10 किलो	
		27.10.11	आइसोपोम भंडार पंजी, पृष्ठ–10	राई (2 किलो)	86 पैकेट	
		27.10.11	अन्य बीज भंडार पंजी पृष्ठ–01 वर्ष 10–11	उरद बीज	136 किलो	
		24.06.10	एन0 एस0 डी0 एल0 भंडार पंजी, पृष्ठ–03	राजेन्द्र मंसूरी धान बीज (5 किलो)	49 पैकेट	
				KRH 2 (6 किलो)	13 पैकेट	
		28.06.10	एन0 एस0 सी0 भंडार पंजी, पृष्ठ–15	मक्का बीज	278 किलो	
		12.07.10	खरीफ आइसोपोम योजना, पृष्ठ–16	मक्का बीज प्रमेद तील प्रमेद आर0 टी0 127	140 किलो 5 पैकेट	

				(1 किलो)		
		05.08.10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, भंडार पंजी पृष्ठ–17	अरहर बीज (प्रति पैकेट 4 किलो)	69 पैकेट	
		23.07.10	राष्ट्री खाध सुरक्षा मिशन, भंडार पंजी पृष्ठ–20	अरहर बीज	72 किलो	
		23.07.10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, भंडार पंजी पृष्ठ–21	धान KRH 2	46 किलो	
		23.07.10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, भंडार पंजी पृष्ठ–21	धान PRH-10	138 किलो	
		07.09.10	आइसोपोम भंडार पंजी, पृष्ठ–23	तारिया (प्रति 2 किलो)	446 पैकेट	
		01.11.10	आइसोपोम भंडार पंजी, पृष्ठ–24	राई/ सरसों (प्रति 2 किलो)	12 पैकेट	
		01.11.10	धान एवं अन्य बीज भंडार पंजी 10–11 पृष्ठ–26	बीज ग्राम योजना निर्गत चना बीज	800 किलो	
		01.12.10	धान एवं अन्य बीज भंडार पंजी 10–11 पृष्ठ–28	पैवोमोड योजनान्तर्गत गेहूँ (प्रति पैकेट 40 किलो)	20 पैकेट	
		02.01.10	धान एवं अन्य बीज भंडार पंजी	राष्ट्रीय कृषि विकास	460 किलो	

			10–11 पृष्ठ–29	योजनान्तर्गत गेहूँ		
		29.11.10	धान एवं अन्य बीज भंडार पंजी 10–11 पृष्ठ–38	बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूँ (प्रति पै0 40 किलो)	150 पैकेट	
		20.07.10	धान एवं अन्य बीज भंडार पंजी 10–11 पृष्ठ अतिरिक्त	NFSM अरहर	72 किलो	
		01.11.10	धान एवं अन्य बीज भंडार पंजी 10–11 अतिरिक्त पृष्ठ	आइसोपोम मक्का (प्रति पै0 2 किलो)	8 पैकेट	
		05.10.10	आइसोपोम भंडार पंजी 10–11 अतिरिक्त पृष्ठ	मक्का प्रमेद बायो (प्रति 2 किलो)	181 पैकेट	
		25.10.10	NFSM/RKVY भंडार पंजी वर्ष 10–11 पृष्ठ–57	कोनोवीडर (NFSM) से	6 पीस	
		21.07.10	उपादान बीज भंडार पंजी वर्ष 10–11 पृष्ठ–02	आइसोपोम मक्का उपादान कीट	139 किलो 14 पीस	
		21.07.10	उपादान बीज भंडार पंजी वर्ष 10–11 पृष्ठ–03	NFSM अरहर बीज उपादान कीट	72 किलो 9 पीस	
		20.07.10	उपादान बीज भंडार पंजी वर्ष 10–11 पृष्ठ–04	उपादान कीट	17 पीस	

		16.08.10	उपादान बीज भंडार पंजी वर्ष 10–11 अन्तदाता पृष्ठ–05	उपादान कीट	23 पीस	
		01.09.10	उपादान बीज भंडार पंजी वर्ष 10–11 पृष्ठ–06	RKVY उपादान कीट	23 पीस	
		09.09.10	उपादान बीज भंडार पंजी वर्ष 10–11 पृष्ठ–07	RKVY उपादान कीट	23 पीस	
		09.09.10	उपादान बीज भंडार पंजी वर्ष 10–11 पृष्ठ–08	NFSM कीट	6 पैकेट	

परिशिष्ट 'त'

कंडिका–31 से सम्बंधित

क्र0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष	रोकड़ पुस्त का संवरण शेष	बैंक खाता एवं बैंक का संवरण शेष	बैंक में अधिक राशि	बैंक में कम राशि	कुल अंतर राशि
1	राष्ट्रीय खाध सुरक्षा मिशन	10–11	1,99,92,416.00	47,33,051.00 पंजाब एंड सिंध बैंक खाता सं0–1475	—	1,52,59,365.00	1,52,59,365.00
		11–12	63,30,772.00	68,42,893.00	5,12,121.00	—	5,12,121.00
2	माइक्रोमोड मैजेजमेंट कार्यक्रम	10–11	86,68,346.75	3,04,64,743.00 इंडियन बैंक,जी0 बी0 रोड सं0–447510110003182	2,17,96,396.25	—	2,17,96,396.25
		11–12	57,92,747.75	47,92,512.00	—	10,00,235.75	10,00,235.75
3	मिट्टी, बीज, उर्वरक प्रयोगशाला स्थापना एवं उन्नयन	10–11	17,47,516.00	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खाता सं0–70902–76,72,103.00 पंजाब एण्ड सिंध बैंक,	63,10,439.00	—	63,10,439.00

				गया खाता सं0–4721100000588– 3,85,852.00 80,57,955.00			
		11–12	59,72,204.00	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खाता सं0–70902 –7,37,617.00 पंजाब एंड सिंध बैंक, गया खाता सं0–4721100000588 –3,85,972.00 11,23,589.00	–	48,48,615.00	48,48,615.00
4	केन्द्रीय बीज ग्रामीण योजना	10–11	64,90,728.20	3,41,13,204.00 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं0–1159900588	2,76,22,475.80	–	2,76,22,475.80
		11–12	67,90,648.20	33,57,577.00	–	34,33,071.20	34,33,071.20

5	राज्य प्रोत्साहन पावर ढिलर कार्यक्रम	10–11	1,00,80,000.00	73,20,000.00 मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, गया खाता सं0–13332	—	27,60,000.00	27,60,000.00
		11–12	10,80,000.00	10,79,985.00	—	15.00	15.00
6	आइसोपोम	10–11	44,27,698.90	40,07,985.00 एक्सिस बैंक, गया खाता सं0–2975098	—	4,19,776.90	4,19,776.90
		11–12	53,41,084.00	49,03,224.00	—	4,37,860.90	4,37,860.90
7	जैविक खेती प्रोत्साहन योजना	10–11	55,11,000.00	शून्य	—	55,11,000.00	
		11–12	20,83,179.00	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गया–16611 5,97,263.00	—	14,85,916.00	14,85,916.00
8	ई0 किसान भवन	10–11	1,23,92,000.00	पंजाब नेशनल बैंक, गया खाता सं0–4923000100003756	1,06,57,360.00	—	1,06,57,360.00
		11–12	1,19,17,000.00	1,24,79,000.00	5,62,000.00	—	5,62,000.00

9	विशेष चावल योजना	10–11	2,48,828.85	शून्य बैंक खाता संधारित रहीं है।			
		11–12	2,48,828.85	शून्य बैंक खाता संधारित रहीं है।			
10	तेलहन विकास कार्यक्रम	10–11	6,615.15	शून्य बैंक खाता संधारित रहीं है।			
		11–12	6,615.15	शून्य बैंक खाता संधारित रहीं है।			
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	10–11	2,03,96,929.00	2,54,57,809.00 ओरिएण्डल बैंक ऑफ कार्मस, गया खाता सं0–12642011000164	50,60,880.00	–	50,60,880.00
		11–12	2,08,13,514.00	3,51,53,573.00	1,43,40,059.00	–	1,43,40,059.00
12	वेयर हाउसिंग	10–11	61,17,720.00	शून्य	–	61,17,720.00	61,17,720.00
		11–12	21,220.00	57,24,523.00 बैंक ऑफ बड़ौदा, गया खाता सं0–13666	57,03,303.00	–	57,03,303.00

13	स्थापना 2401	10—11	5,82,871.00	खाता स्थापना हेतु संधारित नहीं उपरोक्त खाते में से किसी को भी प्रयोग में ले लिया जाता था।			
		11—12	5,83,002.00	खाता स्थापना हेतु संधारित नहीं उपरोक्त खाते में से किसी को भी प्रयोग में ले लिया जाता था।			